



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर JDA हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1/1	0.4547	चाही 3	0.4547	9.32	नोट नं. 23 से दिनांक 13/06/2024 खसरा संख्या :	
1/2	0.2500	गै.मु.	0.2500		161, 164,	
10/2	0.7300	गै.मु.	0.7300		165, 167, 169, 170, 171 सभी काश्तकार पर	
100	0.1000	गै.मु.	0.1000		तहसीलदार साहब	
100/615	0.0500	गै.मु.	0.0500		के आदेश क्रमांक/भू.अ./स्थगन/2024/2147-48 दिनांक	
101	0.3700	गै.मु.	0.3700		13/06/2024	
102	1.0800	गै.मु.	1.0800		क्रम में मा.न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर	
102/1	0.2500	गै.मु.	0.2500		के निगरानी/प्रार्थना/अपील स. 191/2024 के निर्णय	
103	0.1200	गै.मु. रास्ता	0.1200		दिनांक	
103/616	0.2000	गै.मु.	0.2000		07/06/2024 उनवान भोलू बनाम सुमित्रा माथुर	
104/3	0.5300	गै.मु.	0.5300		वगैरह	
104/617	0.1000	चाही A	0.1000	4.40	में आपीलाधीन आदेश दिनांक ८/२/२०२४ वादग्रस्त	
106/1	1.6000	गै.मु.	1.6000		आराजी की मोका	
106/618	0.1000	चाही A	0.1000	4.40	व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट	
11	1.4100	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.4100	14	लगा हुआ	
110	0.1200	गै.मु.	0.1200		है।	
111	0.8400	गै.मु.	0.8400		स्वीकृत नामांतरकरण : 5 30/07/2024 शुद्धिपत्र	
112	0.0300	गै.मु.	0.0300		स्वीकृत नामांतरकरण : 266 14/09/2022 सर्म्पण	
113	0.7200	गै.मु.	0.7200		स्वीकृत नामांतरकरण : 267 06/01/2023 सर्म्पण	
113/1	0.0200	गै.मु. रास्ता	0.0200		स्वीकृत नामांतरकरण : 269 29/03/2023 सर्म्पण	
114	0.1500	गै.मु.	0.1500		स्वीकृत नामांतरकरण : 270 09/05/2023 न्याया.	
					आदेश	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 272 05/10/2023 सर्म्पण	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 274 13/10/2023 सर्म्पण	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 275 13/10/2023 न्याया.	
					आदेश	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 277 20/02/2024 न्याया.	
					आदेश	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 278 16/03/2024 न्याया.	
					आदेश	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 282 12/07/2024 न्याया.	
					आदेश	



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

114/1	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
115	1.1400	गै.मु.	1.1400	
115/588	0.0900	गै.मु.	0.0900	
116	0.6000	गै.मु.	0.6000	
116/589	0.0900	गै.मु.	0.0900	
117	0.4500	गै.मु.	0.4500	
12/1	0.9000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.9000	14
120	1.2700	गै.मु.	1.2700	
129	0.2500	गै.मु.	0.2500	135
13/1	0.4600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4600	14
130	0.5900	गै.मु.	0.5900	
130/571	0.1800	गै.मु.	0.1800	
131	0.4000	गै.मु.	0.4000	135
132	0.8100	गै.मु.रास्ता	0.8100	
134	0.4000	गै.मु.	0.4000	
134/661	0.1500	गै.मु.	0.1500	135
135	0.0100	गै.मु.	0.0100	
136	0.1300	गै.मु.	0.1300	
138	0.5500	गै.मु.	0.5500	
144	0.3400	गै.मु.	0.3400	
145	0.3600	गै.मु.	0.3600	147
146	0.3400	गै.मु.	0.3400	
147	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
148	0.1000	गै.मु.	0.1000	
149	0.5200	गै.मु.	0.5200	147
15/1	0.0700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0700	
159/625	0.2900	गै.मु.	0.2900	
16/1	0.5100	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.5100	14
160	0.1800	गै.मु.	0.1800	168
161	0.3600	गै.मु.	0.3600	168
162	0.9600	गै.मु.	0.9600	168
163	0.3900	गै.मु.	0.3900	138
164	0.6800	गै.मु.	0.6800	168
165	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200	
167	0.0700	गै.मु.	0.0700	



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

168	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
169	0.2200	गै.मु.	0.2200	168
17/2	0.9300	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.9300	14
17/607	0.0300	चाही 2	0.0300	0.87
170	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800	
171	0.9200	गै.मु.	0.9200	166
172	0.6000	गै.मु.	0.6000	
173	0.4500	गै.मु.	0.4500	166
174	0.2800	गै.मु.	0.2800	166
175	0.7100	गै.मु.	0.7100	166
176	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	
177	0.7800	गै.मु.	0.7800	147
178	1.4400	गै.मु.	1.4400	147
179	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300	
18/1	0.6600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.6600	105
18/606	0.0400	चाही 2	0.0400	1.16
180	0.0700	गै.मु.सड़क	0.0700	
187	0.1800	गै.मु.सड़क	0.1800	
189/594	0.2100	गै.मु.	0.2100	185
19/608	0.1000	गै.मु.सड़क	0.1000	
190	0.1100	गै.मु.सड़क	0.1100	
190/595	0.1700	गै.मु.	0.1700	185
191	0.3600	गै.मु.	0.3600	
192	0.8300	गै.मु.	0.8300	204
193	1.3600	गै.मु.	1.3600	166
194	0.2300	गै.मु.	0.2300	198
195	0.2200	गै.मु.	0.2200	198
196	0.5000	गै.मु.	0.5000	198
197	0.1300	गै.मु.	0.1300	
198	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
199	0.3400	गै.मु.	0.3400	198
2	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
200	0.2900	गै.मु.	0.2900	198
201	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300	
202	1.2000	गै.मु.	1.2000	204
203	0.0600	गै.मु.	0.0600	204



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

204	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
205	1.2600	गै.मु.	1.2600	204
206	0.3700	गै.मु.	0.3700	198
207	0.5800	गै.मु.	0.5800	198
208	1.1500	गै.मु.	1.1500	
209	0.6700	गै.मु.	0.6700	198
217	0.1000	गै.मु.	0.1000	
218	0.0500	गै.मु.	0.0500	
219	0.0600	गै.मु.	0.0600	
229	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100	
237/590	0.0300	गै.मु.श्मशान	0.0300	
240	0.8000	गै.मु.	0.8000	249
241	0.8000	गै.मु.	0.8000	249
242	0.5000	गै.मु.	0.5000	249
242/627	0.0800	गै.मु.	0.0800	249
243	0.1400	गै.मु.	0.1400	249
243/628	0.1100	गै.मु.	0.1100	
244	0.3900	गै.मु.	0.3900	249
245	0.0400	गै.मु.	0.0400	249
246	0.1700	गै.मु.	0.1700	249
248	0.0100	गै.मु.	0.0100	249
249	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
25	0.1300	गै.मु.	0.1300	
250	0.8900	गै.मु.	0.8900	249
251	0.6300	गै.मु.	0.6300	
252	0.2700	गै.मु.	0.2700	249
253	0.0500	गै.मु.झेरा	0.0500	
254	1.3200	गै.मु.	1.3200	
254/572	0.0800	गै.मु.	0.0800	
255	0.2300	बारानी 2	0.2300	1.38
255/631	0.1100	गै.मु.	0.1100	
256	0.0600	गै.मु.	0.0600	
259	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400	
26	0.1400	गै.मु.	0.1400	
260	1.1800	गै.मु.	1.1800	
261	0.7500	गै.मु.	0.7500	
264/591	0.0400	गै.मु.श्मशान	0.0400	
265/1	0.3000	गै.मु.	0.3000	



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

265/2	0.0300	गै.मु.	0.0300	
266	0.7600	गै.मु.	0.7600	
267	0.4900	गै.मु.	0.4900	63
27	0.1600	गै.मु.	0.1600	
271	0.0300	गै.मु.	0.0300	
272	0.4200	गै.मु.	0.4200	
273/568	0.0700	गै.मु.श्मशान	0.0700	
274/592	0.6100	गै.मु.तलाई	0.6100	
278	0.0300	गै.मु.मन्दिर	0.0300	
28	0.2400	गै.मु.	0.2400	
287	0.1000	गै.मु.	0.1000	295
29	1.2300	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.2300	
29/565	0.1600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1600	
290	0.1100	गै.मु.	0.1100	295
291	0.2300	गै.मु.	0.2300	295
292	0.2000	गै.मु.	0.2000	295
293	0.1200	गै.मु.	0.1200	
294	0.1500	गै.मु.	0.1500	295
295	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400	
296	0.1500	गै.मु.	0.1500	295
297	0.0600	गै.मु.आबादी	0.0600	
298	0.9800	गै.मु.	0.9800	
299	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
3/1	0.0300	गै.मु.	0.0300	
30	0.8600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.8600	21
30/566	0.2000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2000	
300	0.8100	गै.मु.	0.8100	
308	0.8800	गै.मु.	0.8800	
309	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
31	0.4800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4800	36
310	0.0400	गै.मु.	0.0400	
311	1.9000	गै.मु.	1.9000	
312	1.8600	गै.मु.	1.8600	
313	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

314	1.2400	गै.मु.	1.2400	317
315/587	0.0900	गै.मु.	0.0900	
316	0.5800	गै.मु.	0.5800	
316/584	0.2500	गै.मु.	0.2500	
317	0.0200	गै.मु.	0.0200	
318	0.2700	गै.मु.	0.2700	317
319	0.2200	गै.मु.	0.2200	317
32	0.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1400	
320	0.5000	गै.मु.	0.5000	317
320/633	0.0400	गै.मु.	0.0400	
321	0.0400	गै.मु.	0.0400	317
322	0.1100	गै.मु.	0.1100	
323	0.2700	जाव 2	0.2700 3.92	317
324	0.6700	गै.मु.	0.6700	317
324/577	0.0900	गै.मु.	0.0900	
324/634	0.0500	गै.मु.	0.0500	
325	1.3100	गै.मु.	1.3100	
325/635	0.0900	गै.मु.	0.0900	
326	0.1000	गै.मु.	0.1000	
327	0.1100	गै.मु.	0.1100	
328	0.1400	गै.मु.	0.1400	
329	0.3600	गै.मु.	0.3600	
33	0.2500	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2500	
33/605	0.0400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0400	
330	1.0200	गै.मु.	1.0200	333
336	0.7000	गै.मु.	0.7000	
337	0.5900	गै.मु.	0.5900	
338	1.2200	गै.मु.	1.2200	
339	0.1400	बंजड 1	0.1400 0.42	
34	1.3500	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.3500	
340/1	0.1300	गै.मु.	0.1300	
37	0.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1400	36
38	0.7200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.7200	36



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

397	0.0400	गै.मु.	0.0400	
398	0.2800	गै.मु.	0.2800	
399	0.1500	गै.मु.	0.1500	
4/1	0.0400	गै.मु.	0.0400	
40	1.2600	गै.मु.	1.2600	
400	0.1600	गै.मु.	0.1600	
401	0.3900	बारानी 2	0.3900	2.34
401/574	0.0300	गै.मु.	0.0300	
402	0.5000	गै.मु.	0.5000	
402/641	0.1100	गै.मु.	0.1100	
404	0.4200	गै.मु.	0.4200	
41	0.5900	गै.मु.	0.5900	
46	1.0500	गै.मु.	1.0500	
47	0.4700	गै.मु.	0.4700	
48	0.4200	गै.मु.	0.4200	
483	1.1300	बारानी 3	1.1300	4.18
484/1	0.0900	जाव 2	0.0900	1.31
486	0.0800	बारानी A	0.0800	0.94
488	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
49	0.1800	गै.मु.	0.1800	
5/2	0.0100	गै.मु.	0.0100	
5/3	0.2900	गै.मु.	0.2900	2
50	0.9000	गै.मु.	0.9000	
51	0.4500	गै.मु.	0.4500	
51/563	0.4700	गै.मु.	0.4700	
515	0.7200	बारानी 3	0.7200	2.66
52	0.1900	गै.मु.रास्ता	0.1900	
53	0.8000	गै.मु.	0.8000	
53/576	0.2100	गै.मु.	0.2100	
54	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
55	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600	
56	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
57	0.9000	गै.मु.	0.9000	
58	0.9900	गै.मु.	0.9900	
59	0.8800	गै.मु.	0.8800	
6/3	1.4200	गै.मु.	1.4200	2
60	0.1300	गै.मु.	0.1300	
61	0.1600	गै.मु.सड़क	0.1600	



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

62	0.0800	गै.मु.	0.0800	
63	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
65	0.6300	गै.मु.	0.6300	63
66	0.8500	गै.मु.	0.8500	
665/243	0.0300	गै.मु.	0.0300	249
668/240	0.0300	गै.मु.	0.0300	
669/243	0.4100	गै.मु.	0.4100	
67	0.4900	गै.मु.	0.4900	
670/244	0.1800	गै.मु.	0.1800	
671/248	0.1300	गै.मु.	0.1300	
672/248	0.0900	गै.मु.	0.0900	
673/250	0.1100	गै.मु.	0.1100	
674/252	0.0300	गै.मु.	0.0300	
675/254	0.0700	गै.मु.	0.0700	
676/150	0.4400	गै.मु.	0.4400	
677/150	0.0800	गै.मु.	0.0800	
678/151	0.1300	गै.मु.	0.1300	
682/1	0.4000	गै.मु.	0.4000	
683/1	0.0600	गै.मु.	0.0600	
684/1	0.1100	गै.मु.	0.1100	
685/1	0.2000	गै.मु.	0.2000	
686/1	0.0700	गै.मु.	0.0700	
687/1	0.0200	गै.मु.	0.0200	
688/1	0.1000	गै.मु.	0.1000	
689/7	0.1400	गै.मु.	0.1400	
69	0.5200	गै.मु.	0.5200	63
692/315	0.0100	गै.मु.	0.0100	
693/316	0.1900	गै.मु.	0.1900	
695/217	0.1700	गै.मु.	0.1700	
697/218	0.1600	गै.मु.	0.1600	
698/219	0.2500	गै.मु.	0.2500	
699/219	0.2300	गै.मु.	0.2300	
7/1	0.0900	गै.मु.	0.0900	
70	0.3200	गै.मु.	0.3200	63
700/220	0.0400	गै.मु.	0.0400	
701/220	0.1700	गै.मु.	0.1700	
702/223	0.1800	गै.मु.	0.1800	
705/180	0.0600	गै.मु.सडक	0.0600	





## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

706/180	0.0500	गै.मु.सड़क	0.0500	
707/180	0.0200	गै.मु.सड़क	0.0200	
708/181	0.1300	गै.मु.सड़क	0.1300	
71	0.8400	गै.मु.	0.8400	
712/184	0.0200	गै.मु.सड़क	0.0200	
714/184	0.1400	गै.मु.सड़क	0.1400	
715/186	0.0200	गै.मु.सड़क	0.0200	
718/187	0.0300	गै.मु.सड़क	0.0300	
72	0.4800	गै.मु.	0.4800	
721/1	0.4681	गै.मु. आवासीय	0.4681	
722/1	0.2472	गै.मु. आवासीय	0.2472	
724/7	0.4000	गै.मु.	0.4000	
725/8	0.0400	गै.मु.	0.0400	
726/270	0.0300	गै.मु.	0.0300	
73	0.0100	गै.मु.	0.0100	
731/304	0.0700	गै.मु.सड़क	0.0700	
733/64	0.1700	गै.मु.सड़क	0.1700	
735/268	0.2465	गै.मु.सड़क	0.2465	
737/269	0.2067	गै.मु.सड़क	0.2067	
739/104	1.4300	गै.मु.	1.4300	
74	0.5100	गै.मु.	0.5100	
742/717	0.0155	गै.मु.सड़क	0.0155	
744/720	0.0056	गै.मु.सड़क	0.0056	
745/118	0.9600	गै.मु.	0.9600	135
747/121	0.8900	गै.मु.	0.8900	135
749/133	0.3900	गै.मु.	0.3900	135
75	0.8600	गै.मु.	0.8600	
751/137	0.3350	गै.मु.	0.3350	135
753/19	0.1629	गै.मु.सड़क	0.1629	
76	0.5500	गै.मु.	0.5500	
77/1	0.2600	गै.मु.	0.2600	
77/2	0.3100	गै.मु.	0.3100	
78	0.1600	गै.मु.	0.1600	
79	0.1500	गै.मु.	0.1500	
80	0.4200	गै.मु.	0.4200	
81	0.2600	गै.मु.आबादी	0.2600	



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया  
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा  
भू.अभि.नि. :- सांगानेर  
तहसील :- सांगानेर  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 79  
खाता संख्या पुराना :- 2

82	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
83/1	0.6900	गै.मु.	0.6900	
83/2	1.2500	गै.मु.	1.2500	
84	1.1200	गै.मु.	1.1200	82
85	1.4800	गै.मु.	1.4800	82
86/1	0.6500	गै.मु.	0.6500	
86/2	0.0600	गै.मु.	0.0600	
87	0.5700	गै.मु.	0.5700	82
88	4.0000	गै.मु.	4.0000	82
89	0.5000	गै.मु.	0.5000	
90	1.2000	गै.मु.	1.2000	
91	1.7800	गै.मु.	1.7800	
92	2.2200	गै.मु.	2.2200	93
93	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
94/1	0.1000	गै.मु.	0.1000	
94/2	0.0400	गै.मु.	0.0400	
96/1	0.6000	गै.मु.	0.6000	
96/2	0.3100	गै.मु.	0.3100	
97/1	0.1800	गै.मु.	0.1800	
97/2	0.1000	गै.मु.	0.1000	
98/1	0.4500	गै.मु.	0.4500	
98/2	0.3300	गै.मु.	0.3300	
99	0.3600	गै.मु.	0.3600	
99/614	0.1500	गै.मु.	0.1500	

कुल खसरे - 333 129.8022 129.8022 37.3000

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 4-Oct-2025



**Stamps and Registration Department  
OFFICE OF SUB REGISTRAR SANGANER II**

**SANGANER**  
(Rule 75 & 131)

**FEE RECEIPT**

Fee Receipt No	2014399000194	Date	13/01/2014
Presenter Name	SITA RAM TODAWAT	Document S. No	2014399000213
Presenter/Property Address	VILL. SHUKIYA TEH.SANGANER (PRRA) null		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		

Claimant Name		Payment Mode	Cash
Face Value	3225252	Stamp Value	159010
	Evaluated Value: 0		

Ord- registration fee	32260	commission	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandum)	0	reg(memorandum)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	2260	Surcharge	16127
us_23_34	0	others	0
us_54_67	0	Inspection_fee	0
		<b>Total :</b>	<b>30847</b>

Fifty Thousand Nine Hundred Forty Seven Only

Cashier

  
Sub Registrar SANGANER-II



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



### शहरी जमाबन्दी के आधार पर समूह आवासीय प्रयोजनों (ग्रुप हाउसिंग) के लिए निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गत भूमि का एकल पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 80 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आबंटित गृहस्थों के उपयोग हेतु)

यह इशारना जो आज दिनांक 25/12/2013 को, आवंटन/विषय-पत्र संख्या 198, सेन \_\_\_\_\_ को राजस्थान राज्य के राजपाल जिन्हें इसमें इनके परमात्ता लताम कठ कर सम्बोधित किया गया है और इतरी और श्री सीताराम टोडावत पुत्र श्री हरिविरान टोडावत जाति जाट व्यवसाय कृषि निवास ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (जिनको इसमें इसमें परमात्ता पट्टेदार करण सम्बोधित किया गया है और इस इशारे में जहाँ नहीं प्रस्तुत है वहाँ अर्थ निकले, उनको उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और भुक्तियोज जहाँ भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें सम्बोधित शर्तों और कर्तारों को पट्टेदार द्वारा निम्नलिखित तथा वास्तव किन्हीं कारणों से एकाज से सहायक एकल द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसमें बाद उल्लेख भूखण्ड एक के सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो निजी खातेदारी को योजना ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 88 आवासीय ग्रुप हाउसिंग अनुमतिद क्षेत्रफल 11518.75 वर्ग गज और जो अगली सीमाओं और संपत्तियों के साथ इनके अन्तर्गत निम्न पत्र पोलिशिंग से अधिक पुनः आवेग शक्ति है तथा जिसका आकार विषय पत्र से इसमें सलन नवह में दिखलाया गया है और जितने पूर्ण स्वयंसेवा राबड़ी रखती शक्ति किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अवस्थाओं, संरक्षणों, प्रतिनयों, ठेक शर्तों और कर्तारों के अधिन पट्टेदार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्—

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यलय में जो राज्य सरकार द्वारा समझ-समय पर निम्न अलग स्थान पर निम्न 70/- रुपये प्रति वर्ष गज से कुल निम्नमन राशि 8,08,313/- रुपये में आठ लाख छः हजार तीन श्री तैरह रुपये देय होगी है जो सालान संख्या 290412 दिनांक 17.12.2013 एवं तीन सालान संख्या 8262 दिनांक 10.12.2013 से तथा जो सालान 20 अंशों की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार को आदेश लगाकर एफ-9(15)पू.डी./3/2901 दिनांक 15.01.2012 से आज वर्षीय लीज राशि 845050/- रुपये शर्तों में छः लाख पचास हजार पचास रुपये होती है जो सालान संख्या 290412 दिनांक 17.12.2013 से जमा है।
3. उपरोक्त भूखण्ड का उपयोग आवासीय ग्रुप हाउसिंग हेतु किया जाएगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी शक्ति नहीं किया जा सकेगा व 2001 के भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार को आदेश दिनांक 10.7.99 संख्या प-8 (3) तद्विधि. /3/99 द्वारा अंश विनियमों के प्रावधानों में उक्त विधिवत्ता के तहत निम्नमन क्षेत्र निर्धारण किया गया है तथा निम्नमन अधोग निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी एवं लीज पैदा प्लान को अनुसार छोड़ने होंगे।
4. इस लीजहोल्ड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकारी/जीवन बीमा निगम/राष्ट्रपुत्र बैंक/सरकारी जमादारी संस्था/एच डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत अगवारी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के रूप में लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या इस पर बसने वाले भवन या भवनों का या इन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो निम्न पत्र में निर्दिष्ट आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारियों को लिखित आज्ञा की जो एतदर्थ भिन्ना किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति दे देगा। पट्टेदार द्वारा प्लाट विलेख को उपरोक्त शर्तों एवं की राज. इन्फुर्मेंट ट्रस्ट (विशेषज्ञता और अरबन लोड, 1974 को) अन्तर्गत स्थापित शर्तों को

उपप्राप्ति के  
सम्माने दिवस


उपायुक्त (जोन-8)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



**INDIA NON JUDICIAL**  
**Government of Rajasthan**  
**e-Stamp**

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-RJ01032805650760L
Certificate Issued Date	: 26-Dec-2013 01:58 PM
Account Reference	: SHCIL (FI) rjshci01/ RAMBAGH/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJSHCIL0101077913347737L
Purchased by	: SITARAM TODAWAT
Description of Document	: Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	: KH.NO 88 PART VILL SUKHIYA TEH SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: JDA
Second Party	: SITARAM TODAWAT
Stamp Duty Paid By	: SITARAM TODAWAT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,29,010 (One Lakh Twenty Nine Thousand And Ten only)



.....Please write or type below this line.....

निजी खातेदार (आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा)  
 ग्राम सुखिया तहो सांगानेर  
 खण्ड नं० 88  
 क्षेत्रफल 11518.75 वर्ग गज  
 आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा  
 के लिए लीजडीड हेतु 129010+10/-  
 के स्टाम्प सलगा है।

उप पंजीयक  
 सांगानेर द्वितीय

उपायुक्ती (जाने-डॉ) 6  
 जायपुर विकास प्राधिकरण 0001676183

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.stampsonline.com". Any discrepancy in the details of the Certificate will be reported to the website under 3 months.
2. The issue of issuing this document is on the basis of this certificate.
3. In case of any discrepancy, please report the Competent authority.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT IN PART OF K.NO.-88  
AT VILLAGE- SUKHIYA (RAMPURA ROAD), TEH.-SANGANER, JAIPUR

G.H. PLOT AREA :- 9630.83 Sq.Mtr. (11518.47 Sq.Yds.)

SECTOR ROAD AREA :- 348.17 Sq.Mtr. (416.41 Sq.Yds.)

1. F.A.R. - STANDARD - 1.33

MAXIMUM - 2.25

2. MAXIMUM BUILTUP AREA = WITH IN SET-BACKS

3. MAXIMUM HEIGHT :- AS PER J.D.A. BY LAWS 2010-11 POINT - 8.11

4. MAXIMUM GROUND COVERAGE AS PER BY LAWS 2011 = 35 %



SITE ENGINEER  
ZONE -8

ATP/DFP  
ZONE -8

DY. COMMISSIONER  
ZONE -8

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY  
JAIPUR

30.000



UNIT 79L  
D S TOWER, NAGAR NIGAM ROAD  
IN FRONT OF SBI BANK  
SANGANER, JAIPUR - 302905



PA(300)F(X)G(STAMP)FRANK/07/95

30064 SPLADH राजस्थान  
170441 JAN 13 2014

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

R.00300000/-PB7043

STAMPED BY RAJASTHAN



निजी खातेदार (आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा)  
ग्राम सुखिया तह0 सांगानेर  
ख0नं0 88  
क्षेत्रफल 11518.75 वर्ग गज  
आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा  
के लिए लीजडीड हेतु 129010+10/-  
के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त (जोन-8) ४  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3  
उप महासचिव  
सांगानेर डिस्ट्रिक्ट



आज दिनांक 13 अक्टूबर सन् 2014 को 01:25 PM को  
 श्री/श्रीमती/शुद्धी SITA RAM TODAWAT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARIKISHAN TODAWAT  
 उम्र 48 वर्ष, जति JAT व्यवसाय AGRICULTURE  
 निवासी VILL. SHUKIYA TEH.SANGANER JPR RAJ null  
 ने मेरे सम्पत्ति दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

*(Signature)*

हस्ताक्षर प्रत्यागामी  
 (2014399000213)

(Lease deed for local bodies (Patta))

*(Signature)*

हस्ताक्षर जग पंजीयक,  
 SANGANER-II



सर्वेच नं०	[2014399000104]
दिनांक	[13-1-2014]
पंजीयन शुल्क रु०	32260
प्रतिनिधि शुल्क रु०	0
पुनर्गणन शुल्क रु०	300
अन्य शुल्क रु०	16127
कुल शुल्क रु०	2260
कुल नोन रु०	50947

( 2014399000213 ) जगपंजीयक, SANGANER-II  
 ((Lease deed for local bodies (Patta))

असा श्री/श्रीमती/शुद्धी (Excutant)  
 1 -SITA RAM TODAWAT / HARIKISHAN TODAWAT  
 उम्र 48 वर्ष जति - JAT, व्यवसाय -AGRICULTURE  
 निवासी - VILL. SHUKIYA TEH.SANGANER JPR RAJ

Signature

Photo

Thumb

*(Signature)*



(And Claimant)

मे लेखक/ Lease deed for local bodies (Patta) को यह सुन व  
 समझकर विषयवस्तु अर्थात् स्वीकार किया। प्रतिफल वही रु० 3225252/-  
 पूर्ण कीर्तिरेकमश / मे रु० 3225252 /- पूर्ण से ----- मेरे समक्ष  
 प्राप्त करने स्वीकार किया।

असा विषयवस्तु कर्त श्री यहदाय

1- श्री/श्रीमती/शुद्धी: MUKESH CHOUDHARY  
 पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री JAGDESH CHOUDHARY  
 उम्र 25 वर्ष जति-JAT व्यवसाय -BUSINESS  
 निवासी VILL. MUHANA TEH.SANGANER JPR RAJ,

*(Signature)*



मे यी रु दिनांक अगस्त इत्यादि (यदि अगुदा के विनाश मेरे समक्ष मिले  
 सके हैं।)

(2014399000213)

Lease deed for local bodies (Patta)

*(Signature)*

जग पंजीयक, SANGANER-II



अन 54 के तहत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पर

की मालिकता रूपरे 3225252

मानने हुए इस पर देय करने मुद्रांक

पत्र 2260 पर अन्य पंजीयन शुल्क रुपये 32260 मुद्रांक रुपये 34520 परिये खर्च संख्या  
[2014399000194]

दिनांक [11-1-2014] से जमा किये गये है।

अन-विलेखन की संख्या 161270

के मुद्रांकी पर निष्पादित माना जाता है।

(2014399000213) जग पंजीयन, SANGANER-II  
(Lease deed for local bodies (Patta) )

अन दिनांक 13/1/2014 को

मुद्रांक संख्या 1 दिव्य संख्या 251

से पत्र संख्या 107 अन संख्या 2014399000161 पर

पंजीयन किया गया तथा प्रमाणित

मुद्रांक संख्या 1 दिव्य संख्या 1603

के पत्र संख्या 83 से 92

पर प्रमाण किया गया।

(2014399000213) जग पंजीयन, SANGANER-II  
Lease deed for local bodies (Patta)

12/1/2011

L. No. 42/2002 ✓



आज दिनांक 13/1/2014 को  
पुस्तक संख्या 1 शिख संख्या 251  
मे पृष्ठ संख्या 107 प्रम संख्या 201439900016T02  
संविदाद किया गया तथा अतिरिक्त  
पुस्तक संख्या 1 शिख संख्या 1003  
को पृष्ठ संख्या 83 से 92  
पर चरखा किया गया।

(2014399000213)

उप पंजीक, SANGANER-II  
Lease deed for local bodies (Patta)



SHIL



## Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated worldwide by any member of the public at [www.shililibrary.com](http://www.shililibrary.com) or at any Accredited collection centre address displayed at [www.shililibrary.com](http://www.shililibrary.com) or on your."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo Images. Contains ornamental design borders. Anti-copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



पूर्ण प्राप्ति की जाएगी। यदि किसी राशि का उपसर्जन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो तबिल उक्त भूखण्ड बिना किसी मुताबिके की राशि के अधिग्रहण पर लिया जाएगा।

नोट : इस भूखण्ड को जिला (कर) विभाग को आदेश क्रमांक 12-38 दिनांक 08/07/2013 को अनुसार नटन दिलेस स्वयं खातेकर के पक्ष में कितने जाने से परीकृत मूल्य राशि 32,25,252/- रुपये है। आकर स्टाम्प नं. 167-6185 <sup>4458</sup> स्टाम्प रुपये 129010+10 संख्या 1+1 = 2 घोषित गहा इसमें साथ लगाये जाते है।

इसकी राशि के रूप में इसके पत्रकारों ने इससे बाव प्रत्येक दश में निर्दिष्ट स्थानों और सारोखी पर जाने-आने इलाक़ पर कर दिये है।

सरकार की ओर से

आज तन 2013 माह 12 की 24 दिन 2013 श्री अधिकार मल सीनी सलम  
अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोग 8, जयपुर



सहायक (जनसंपर्क)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एवं

सदरदार कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर में निम्न सारोखी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया।

*(Signature)*  
सदरदार के हस्ताक्षर

सारोखी :-

1. नाम :- बालासुख बीथरी  
पिता/पति का नाम :- स्व० श्री नारायण लाल  
व्यवसाय :- कृषि  
निवास :- ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर, जयपुर

*(Signature)*  
सारोखी के हस्ताक्षर

2. नाम :- बाबुलाल जाट  
पिता/पति का नाम :- श्री पोखर राम जाट  
व्यवसाय :- कृषि  
निवास स्थान :- ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर

*(Signature)*  
सारोखी के हस्ताक्षर

510X




"The contents of this certificate can be verified by any members of the public at www. .... of at any Accredited collector's office address displayed at www. .... from 1998."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Laces, Geometric flexible patterns and subtle lines images, complex ornamental design borders and -copy text, the appearance of silver printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

3822471676







**Stamps and Registration Department  
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V  
JAIPUR**

(Rule 75 & 131)

**FEE RECEIPT**

Fee Receipt No. 2014397006162  
 Presenter Name SITA RAM TODAWAT  
 Presenter/Property Address VILL. SUKHIYA TEH. SANGANER DIST JAIPUR  
 Document Type Agreement of Developer  
 Claimant Name UMESH GUPTA

Date 14/02/2014  
 2014397005270

Face Value  
 Evaluated Value 44282556  
 Payment Mode Cash  
 Stamp Value 440100

Ord- registration fee	20000	commission	0
cei_mere_50000	100	custody	0
stamp(memorandum)	0	reg(memorandum)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	Surcharge	4283
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection fee	0
		<b>Total :</b>	<b>97313</b>



Cashier

*(Signature)*  
 Sub Registrar, JAIPUR-V



### डवलपमेंट एग्रीमेंट

यह डवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 1.4 फरवरी सन् 2014 ईस्वी को :-

सीताराम सोडवत पुत्र श्री हरिकिशन सोडवत (बीघरी) जाति जाट निवासी  
ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

(जिसको इस डवलपमेंट एग्रीमेंट में अ. वलवार राव 'प्रथम पक्ष' से सम्बोधित किया  
गया है जिसमें इनके अंशधारीगण, उ. अधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि भी सम्मिलित हैं।)

भू-स्वामी (ओनर) प्रथम पक्ष

*(Signature)*

एवं

लगातार : .....

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd

Auth. Signatory/Director

सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
पंचम

प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो, जयपुर में अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 69-11, पन्नाटो, होस्पिटल के पास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर के रजिस्ट्रार अधिष्ठाता, अंश गुप्ता पुत्र श्री बी.एन. गुप्ता जाति महाजन निवासी 69/12, मानसरोवर, पंजाब, जयपुर

(प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अपने चण्कर शब्द 'द्वितीय पक्ष' से सम्बोधित किया गया है जिसमें उनके समस्त निदेशाकरण, अंशधारीगण, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि भी सम्मिलित हैं।)

विणसरोवर (डवलपमेंट) द्वितीय पक्ष

को मध्य लिखा जाता है।

जो कि जिला जयपुर, तहसील सांगानेर, ग्राम सुखिया में निजी भूमि खसरा नम्बर 88 में स्थित एक ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड पूर्व व उत्तरमुखी स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 11510.47 वर्गज है।

उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड की सीमाओं में पूर्व की ओर 48 मीटर चौड़ा आने-जाने का सरकारी रास्ता, पश्चिम की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर 18 मीटर चौड़ा आने-जाने का सरकारी रास्ता, दक्षिण की ओर अन्य भूमि है।

उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड प्रथम पक्ष के त्वामित्व, अधिकार का है एवं प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड का नियमन शुल्क व एकमुश्त लीज राशि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को अदा कर दी तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा मिलेख क्रामंक 148 दिनांक 26/12/2013 ईस्वी को प्रथम पक्ष के नाम का लिखा जाकर मिल गया, उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251 के पृष्ठ संख्या 107 में क्रम संख्या 2014399000167, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003 के पृष्ठ संख्या 83 से 92 पर दिनांक 13/01/2014 ईस्वी को हुआ है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड का बिना किसी अन्य व्यक्ति के साझे व हिस्से या एकमात्र स्वामी, अधिकारी व कब्जि है जिसको आज तक किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा सरकार को हित में किसी भी प्रकार से रहन, विग्रह, बख्शीश व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का अनुबन्ध इत्यादि कर रखा है, प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टट्टे, ज़रणादि को भार एवं बन्धन, जमानत, कर्जा, कुर्बानी, डिम्री, अधिसूचना इत्यादि सरकारी व जनसाधारण से मुक्त है, उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में न तो कोई वाद विचारार्थीन है और न ही स्थगन आदेश इत्यादि है। उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष का टाइटल नीट एण्ड फ्लीन, मार्केटेबिल है तथा प्रथम पक्ष को उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त हैं।

Edum



सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
पुंजन

समाचार : .....

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd

...



प्रथम पक्ष उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड पर बहुमंजिलीय निवासिय बिल्डिंग का निर्माण कराना चाहता है जिसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष के पास प्रयाप्त अनुभव व धन का अभाव है इसलिये प्रथम पक्ष ने उपरोक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड पर बहुमंजिलीय निवासिय बिल्डिंग निर्माण कराने का प्रस्ताव द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा जिससे द्वितीय पक्ष सहमत हो गया, इस सम्बन्ध में :-

प्रथम पक्ष की उपरोक्त सम्पूर्ण ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड पर बिल्डिंग बनाने व इससे सम्बन्धित कार्यवाही करने एवं डवलपमेंट एग्रीमेंट निर्धारित व पंजीयन कराने के सम्बन्ध अधिकार प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 69-11, धनवंतरी हॉस्पिटल के पास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर जस्टिफ़ाई अधिकृत निदेशक उमेश गुप्ता को कम्पनी की ओर से डवलपमेंट के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही करने के लिये अधिकृत कर रखा है, जो अब तक सथावत है।

एतद्वारा दोनों पक्ष यह इकरात्नामा लिखकर इकरार करते हैं कि निम्नलिखित शर्तों की पालना करेंगे :-

1. यह कि इस डवलपमेंट एग्रीमेंट की ब्याजमुक्त व वापसदेय सिक्कोरिटी के पेटे सिक्कोरिटी राशि 2,21,00,000/- दो करोड़ इक्कीस लाख रुपये द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के पास जमा करायेगा, जिसमें से 46,92,339/- रुपये अक्षरे छियालीस लाख बानवें हजार तीन सौ उनतालीस रुपये द्वारा बैंक नम्बर 400151 दिनांक 17/12/2013 ईस्वी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मध्यम मार्ग, मानसरोवर शाखा, जयपुर के समावोजन में, 1,50,000/- रुपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये द्वारा बैंक नम्बर 400153 दिनांक 25/12/2013 ईस्वी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मध्यम मार्ग, मानसरोवर शाखा, जयपुर व 1,57,661/- रुपये अक्षरे एक लाख सत्तारवन हजार छः सौ इकसठ रुपये द्वारा बैंक नम्बर 400155 दिनांक 25/01/2014 ईस्वी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मध्यम मार्ग, मानसरोवर शाखा, जयपुर, कुल 50,00,000/- रुपये अक्षरे पचास लाख रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से पूर्व में प्राप्त कर लिये हैं जिसकी प्राप्ति होना प्रथम पक्ष इस डवलपमेंट एग्रीमेंट में स्वीकार करता है, शेष प्रतिभूति राशि में से, 1,00,00,000/- रुपये अक्षरे एक करोड़ रुपये प्रोजेक्ट लाफिंग के दिन एवं 71,00,000/- रुपये अक्षरे इकहतर लाख रुपये प्रोजेक्ट लाफिंग के 45 दिन की अवधि में प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से और प्राप्त कर लेगा।
2. यह कि सरकार की योजना के अन्तर्गत उक्त ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के पेटे ई.डब्ल्यू.एस. बाजार से खरीदेगा एवं उक्त ई.डब्ल्यू.एस. के पेटे जो जे.डी.ए. से भुगतान मिलेगा, उसकी अन्तर राशि दोनों पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे, यदि ई.डब्ल्यू.एस. बनाना पड़ा तो जमीन व निर्माण का खर्चा दोनों पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे एवं सरकार से प्राप्ति राशि को दोनों पक्ष तयशुदा अनुपात में बांटेंगे।
3. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के लिये जो अतिरिक्त एफ.ए.आर. खरीद की जायेगी, उसका खर्चा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे।
4. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के मानचित्र अनुमोदन का खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
पंचम

संगतार : .....  
For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd

Auth. Signatory/Director

5. यह कि आवक, दलाली इत्यादि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तबशुदा अनुपात में बंटा करेगा।
6. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के मानचित्र अनुमोदन होने व ग्रुप हाऊसिंग मूवण्ड पूजन के दिन से तीन वर्ष की अवधि व छः माह की ग्रेस अवधि में द्वितीय पक्ष उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगा, जिसमें असफल होने पर 1,00,000/- रुपये अक्षर एक लाख रुपये प्रतिमाह द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
7. यह कि जल कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूर्ण होने के दौरान दंगे, सभ्य-सम-कानूनी आदेश जो प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो, बिल्डिंग मटेरियल की उपलब्धता ना होना, ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल, सरकारी पाबन्दिया, देवीकृत्य अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा अथवा भू-स्वामी प्रथम पक्ष के टाईटल में खोत अथवा एडीसी द्वारा सक्षम न्यायालय प्राधिकरण इत्यादि द्वारा स्टेट/ऑर्डर लागू अथवा ऐसा अन्य कोई कारण जो डबलपर द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो की जिम्मेदारी डबलपर द्वितीय पक्ष की नहीं होगी एवं इसमें लगने वाला समय उक्त तबशुदा समय में नहीं गिना जायेगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सम्बन्धित सक्षम विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों के अतिरिक्त किसी भी समय यदि नियमों में छूट मिलेगी तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष उक्त छूट का लाभ उठावेंगे एवं इस सम्बन्ध में एफ.ए.आर. क्रय करना अथवा सरकार को राशि अदा करनी होगी तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तबशुदा अनुपात में वहन करेंगे एवं अतिरिक्त क्षेत्र का निर्माण द्वितीय पक्ष स्वयं के खर्च से करायेगा एवं ऐसे अतिरिक्त निर्माण में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का तबशुदा हिस्सा रहेगा।
9. यह कि उक्त प्रोजेक्ट में निर्मित होने वाले फ्लैट्स इत्यादि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संयुक्त रूप से बुक करेंगे एवं बुकिंग राशि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के संयुक्त नाम खुलने वाले एस्को खाते में जमा करायी जायेगी।
10. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष किसी प्रतिष्ठित बैंक में संयुक्त नाम से संयुक्त हस्ताक्षरों से खुलने वाला लॉकर किराये पर लेंगे जिसमें उपरोक्त प्लॉट के समस्त असल कागजात (वेन-ऑफ-डॉक्यूमेंट्स) सुरक्षित रख दिये जायेंगे, जब भी किसी को असल कागजात दिखाने की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संयुक्त हस्ताक्षरों से लॉकर खोलकर असल कागजात दिखा देंगे। उपरोक्त ग्रुप हाऊसिंग मूवण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में उक्त दस्तावेजों के आधार पर द्वितीय पक्ष को किसी भी बैंक/आर.एफ.सी./अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लेने का अधिकार होगा, ऐसे ऋण मय ब्याज की अदायगी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
11. यह कि वह एग्रीमेंट प्रिंसिपल दू प्रिंसिपल बेसिस पर तब है।
12. यह कि द्वितीय पक्ष को साइट पर बोर्ड/होर्डिंग लगवाने व अस्थाई रूप से कार्यालय बनाने का अधिकार होगा।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
पंचम

संज्ञातार :  
For Prim Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.  
Auth. Signatory/Director

13. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से निर्मित होने वाले फ्लैट्स का आपसी सहमति से मूल्यांकन करेंगे तथा द्वितीय पक्ष को उक्त प्रोजेक्ट में निवेश होने वाले फ्लैट्स की बुकिंग भावी क्रोतागण को करने का अधिकार होगा तथा जो भी बुकिंग राशि/विक्रय प्रतिफल राशि किरातों में अथवा एकमुश्त प्राप्त होगी उसमें सर्वप्रथम सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, अन्य राजकोष टैक्सेज एवं फ्लैट विक्रय को दलाली इत्यादि के अदायगी के पश्चात् 35 प्रतिशत राशि प्रथम पक्ष प्राप्त करेगा एवं 65 प्रतिशत राशि द्वितीय पक्ष रखेगा।
14. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संयुक्त हस्ताक्षरों से फ्लैट्स के भावी क्रोतागण के हित में विक्रय पत्र पंजीयन करावेंगे, किसी भी एक पक्ष को विक्रय पत्र पंजीयन कराने का अधिकार नहीं होगा।
15. यह कि डवलपमेंट एग्रीमेंट के पंजीयन का मुद्रांक शुल्क, सटरचार्ज, पंजीयन शुल्क इत्यादि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे।
16. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के डांचे का निर्माण पूर्ण होने पर प्रथम पक्ष प्रतिभूति राशि में से 1,10,50,000/- रुपये अक्षरे एक करोड़ दस लाख पचास हजार रुपये रिफण्ड कर देगा व प्रोजेक्ट निर्माण पूर्ण होने के दिन शेष सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1,10,50,000/- रुपये अक्षरे एक करोड़ दस लाख पचास हजार रुपये रिफण्ड कर देगा, अन्यथा उक्त सिक्क्योरिटी राशि का भार प्रथम पक्ष के हिस्से पर हो जायेगा एवं ऐसी अवस्था में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के हिस्से की बुकिंग राशि/विक्रय प्रतिफल राशि में समायोजन करने का अधिकार होगा।
17. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण के पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के मंटीनेन्स हेतु मंटीनेन्स सोसायटी का गठन किया जायेगा जिसके प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व उक्त प्रोजेक्ट में निर्मित फ्लैट्स मालिक ही मेम्बर होंगे एवं कॉमन फेसिलिटीज को मंटीनेन्स के उद्देश्य से उक्त मंटीनेन्स सोसायटी को हैंडओवर किया जायेगा और उक्त सोसायटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु व आनुपातिक कॉमन मंटीनेन्स चार्ज आदि की अदायगी हेतु प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व फ्लैट्स मालिक/करोतागरी बाबंद रहेंगे।
18. यह कि उपरोक्त मुच हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में डवलपमेंट एग्रीमेंट पंजीयन से पहले के देय टैक्सेज इत्यादि की अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की स्वयं की होगी एवं डवलपमेंट एग्रीमेंट पंजीयन के पश्चात् से लगने वाले समस्त प्रकार के टैक्सेज इत्यादि के प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से के अनुसार जिम्मेदार होंगे।
19. यह कि यदि इस डवलपमेंट एग्रीमेंट के निष्पादन के पश्चात् उक्त मुच हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने के कारण द्वितीय पक्ष को नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की क्षतिपूर्ति करेगा, इसी प्रकार द्वितीय पक्ष की वजह से किसी प्रकार का नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को क्षतिपूर्ति करेगा।

मह. रजिस्ट्रार, जयपुर  
प्रथम

(Signature)

संगलार  
For Prom Sagar Infra Projects Pvt. Ltd  
Auth. Signatory/Director

20. यह कि यदि प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष इस डवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों की पालना न करे तो पीडित पक्ष को पंच निर्णय (आर्बीट्रेशन) के द्वारा इस इकरारनामे की विशिष्ट अनुपालना कटवाने व खर्चा, हर्जा दोषी पक्ष से वसूलने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. यह कि किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
22. यह कि इस डवलपमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के दोनों पक्षों द्वारा, स्वयं के उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे, इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों को एक दूसरे पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने व खर्चा, हर्जा एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अतः यह इकरारनामा दोनों पक्षों ने अपनी राजी-खुशी, स्वस्थ चित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में 100/- रुपये के एक स्टाम्प पेपर व पांच शीन पेपर पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति:

हस्ताक्षर भू-स्वामी प्रथम पक्ष :



*(Signature)*

(सीताराम टोडावत)

PAN : AEVPC 1026 F

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd

हस्ताक्षर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष :

*(Signature)*

Auth. Signatory/Director

(प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,

PAN : AAHCP 4742 N

जरिये अधिकृत निदेशक उमेश गुप्ता)



गवाह 1 *(Signature)*



मोती राम चौधरी 3/6 सुरज नगर चौधरी  
ग्राम - हसनपुरा पोस्ट - मण्डलापुरा  
त. - सांगानेर जि. - जयपुर

गवाह 2 *(Signature)*



विकासकु. शर्मा 8/0 श्री रामजीलाल शर्मा  
Vikas K. Sharma 8/0 Shri Ramjilal Sharma  
Vikas K. Sharma 8/0 Shri Ramjilal Sharma

सब सज्जन, जयपुर  
पंचम





सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Rajasthan

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ01109774333813M
Certificate issued Date	: 14-Feb-2014 03:09 PM
Account Reference	: SHCIL (FI) rjshcil01/ SANGANER RJ-RJ
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJ/RJSHCIL0101139786197923M
Purchased by	: PREM SAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
Description of Document	: Article 5(bbbb) Agreement / Power of Development
Property Description	: PRIVATE LAND KHASRA NO. 68 VILLAGE SUKHIA TEH SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SITARAM TODAWAT
Second Party	: PREM SAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	: PREM SAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 4,40,000 (Four Lakh Forty Thousand only)



-----Please write or type below this line-----

*Sitaram*



सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
पंचम



*Prem Sagar*



0001730355

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.dte Rajasthan.gov.in". Any discrepancy in the details on the Certificate and as indicated on the website renders it invalid.
2. The rules prescribing the procedure to be followed in the issue of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





"The content of this document can be accessed worldwide by any member of the public at [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) at any Addressed collection centre, address registered at [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) free of cost."

"Any alteration to this document makes it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geyser/C Residue patterns and subtle logo images, Complex ornamental design/technology, Anti-copy text, the appearance of various printing, artificial watermarks and other covert and overt features."





1. The Government of India  
2. The Ministry of Defence



भाग 54 के तहत प्रमाण-पत्र  
 प्रमाणित किया गया है कि इस जेड-एच  
 की अंतिम संख्या 44382556  
 समान है इस पर देन करने के लिए  
 तारी: 2730 पर जारी पंजीकरण शुल्क रुपये 30000 कुल रुपये 52730 कीमतें जारी किया  
 [2014397006162]  
 दिनांक [14-2-2014] में जारी किया गया है।  
 अतः प्रमाणित की संख्या 442830  
 के सुदृष्टी पर निम्नलिखित माना जाता है।

(2014397005270) उप पंजीकरण, JALPUR-V  
 (Agreement of Developer)

आज दिनांक 24/2/2014 को सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
 प्लॉट संख्या 1 जिला संख्या 751  
 के प्लॉट संख्या 160 उप पंजीकरण 201439700244894  
 पंजीकरण किया गया तथा अंतिम  
 प्लॉट संख्या 1 जिला संख्या 3002  
 के प्लॉट संख्या 514 से 525  
 पर अपना किया गया।

(2014397005270)  
 Agreement of Developer

उप पंजीकरण, JALPUR-V  
 सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
 पंचम



आज दिनांक 14 मई 2014 को 03:27 PM बजे  
 श्री.सीमती/शुद्धी SITA RAM TODAWAT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARIKESHAN TODAWAT  
 उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष, जति JAT व्यवसाय BUSINESS  
 निवासी VILL. SUKHIYA TEH. SANGANER DIST JAIPUR राज राज  
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पेश किए हैं।

(Signature)  
 हरिकेश प्रसन्न  
 (2014397005270)  
 (Agreement of Developer)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
 पंचम

रजिस्ट्रार संख्या	[2014397006162]
दिनांक	[14-2-2014]
पंजीयन शुल्क रु०	50000
प्रतिनिधि शुल्क रु०	8
प्रमाणन शुल्क रु०	300
अन्य शुल्क रु०	41283
सभी शुल्क रु०	2730
कुल शुल्क रु०	97313

(2014397005270) उपपंजीयक  
 (Agreement of Developer)



आम श्री.सीमती/शुद्धी (Executant)  
 1-SITA RAM TODAWAT / HARIKESHAN TODAWAT  
 उम्र -0 वर्ष जति - JAT, व्यवसाय -BUSINESS  
 निवासी - VILL. SUKHIYA TEH. SANGANER DIST JAIPUR

Signature

Photo

Thumb

(Signature)



(And Claimant)  
 1-UMESH GUPTA / B.L. GUPTA  
 उम्र -0 वर्ष जति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS  
 निवासी -59/12 MANSAROVAR SCHEME JAIPUR AS DIR. PREM  
 SAGAR INFRA PROJECT PVT. LTD.

(Signature)



मेरे संक्षेप Agreement of Developer को यह सुन व समझकर  
 निम्नलिखित कथन स्वीकार किया। प्रमाणन करी रु० \_\_\_\_\_  
 मे/मेरेसमक्ष / मे से रु० \_\_\_\_\_ पूर्व से \_\_\_\_\_ मेरे उत्तर  
 प्राप्त करने स्वीकार किया।

आम निवेदनकर्ता की पेशकश  
 1- श्री.सीमती/शुद्धी MOTI RAM CHAUDHARY  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ KARAN CHAUDHARY  
 उम्र -22 वर्ष जति-JAT व्यवसाय -BUSINESS  
 निवासी HASANPURA JAIPUR.

Moti Ram



2- श्री.सीमती/शुद्धी VIKAS SHARMA  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMJI LAL SHARMA  
 उम्र -25 वर्ष जति-BRAHMIN व्यवसाय -BUSINESS  
 निवासी LALSOT DAUSA RAJ.

Vikas



मेरी वी है कि मेरे सम्मुख दस्तावेज एवं प्रमाण मेरे उत्तर  
 सही हैं।

(2014397005270)  
 Agreement of Developer

सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
 पंचम

18388 दिनांक 11-10-11 FEB 2011

पुनर्निर्माण का कार्य...

काम का नाम...

पिछले का नाम...

पिछले का नाम...

पुनर्निर्माण का कार्य...

काम का नाम...

श्री. सत्य प्रकाश साहू  
9-15, LDA गुरुदास नगर  
लखनौ, जयपुर







# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक- 01/7/2016

आ.वि.प्र./स.स./डी.टी.सी.(सीपी)/2016/बी- 1525

बी.एम.ए.सू.प्रा.  
निर्देशक  
बी.एम.ए.सू.प्रा. प्रोजेक्ट्स प्रा.नि.  
601-603, अटॉमिक बीड, टीक रोड,  
जयपुर।

विषय :- खसरा नम्बर 88, पुनः हाउसिंग घाट-सुविधा, (जयपुर), तहसील-सांगानेर, जयपुर की इन्फॉर्मल भूखण्डों के 18.00 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन संबंधी।

संदर्भ:-

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2014 के संदर्भ में जो इससे खसरा नम्बर 88, पुनः हाउसिंग घाट-सुविधा, (जयपुर), तहसील-सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (9830.83 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 85.90 मीटर ऊँचाई (रेसमेन्ट-1 + रेसमेन्ट-2 + भूतल + 18 मीटर) के इन्फॉर्मल भूखण्डों के मानचित्र भवन मानचित्र समिति (सी.पी.) की 168वीं बैठक दिनांक 11.12.2014 में अनुमोदित किन्हीं कारणों के निमित्त किया गया था। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि अधिकांश भवन के अगलपगल प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक इस भूखण्ड के 18 मीटर से कम ऊँचाई (रेसमेन्ट-1 + रेसमेन्ट-2 + भूतल + 3 मीटर) के पुनः हाउसिंग के भवन मानचित्र जारी कर दिये जायें। इसी द्वारा किये गये निवेदन के क्रम में 12.80 मीटर ऊँचाई (रेसमेन्ट-1 + रेसमेन्ट-3 + भूतल + 3 मीटर) के अगलपगल प्रमाण पत्र के भवन मानचित्र, भवन मानचित्र समिति की 168वीं बैठक दिनांक 11.12.2014 के निर्णयानुसार दिनांक 12.02.2016 को अनुमोदित कर जारी किये गये हैं। आवेदक द्वारा अधिकांश अगलपगल प्रमाण-पत्र, भारतीय विमानन प्राधिकरण का पत्र तथा पर्यावरण विभाग की अगलपगल प्रमाण पत्र की गई है तथा आवेदक द्वारा 18.00 मीटर की लंबाई अनुसार 28.80 मीटर ऊँचाई तक की ही मानचित्र अनुमोदित करने का निवेदन किया गया है, जो भवन मानचित्र समिति (सी.पी.) की 168वीं बैठक दिनांक 11.12.2014 के निर्णयानुसार 28.80 मीटर ऊँचाई तक की स्वीकृति प्राप्त करने की सलाह दी जाती है-

- यह भवन अनुसूचक गृह (आवासीय विमानन प्राधिकरण की अगलपगल प्रमाण पत्र AAISOC-2014/1483472-1977 दिनांक 19.05.2014 के अनुसार) दिनांक 18.08.2014 तक प्रमाणी है।
- भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उत्खनन (डिडिगेशन) नहीं किया जायेगा।
- भूखण्ड की स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविद्द का कलंक होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रकृतित वाटर प्लान/जोन्स प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उत्खनन प्राधिकरण की अगलपगल में आया हो प्राधिकरण को भवन मानचित्र की टी गरी अनुसार रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से इसकी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
- आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र सही पर जमाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपस्थित संबंधित जॉन व प्रकृतित अधिकारी के दस्तखत सम्मिलित इच्छा किन्हीं कारणों से अनुमोदित मानचित्र की-सूचना व अनुमोदन की शर्तों अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रती आवाकिक रूप में निर्माणकर्ता द्वारा भेजे पर रखी जायेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप आवाकिकर्ता एवं उपस्थित जॉन-15 प्राधिकरण को निर्धारित प्रमाण में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
- आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा विनियम विनियम तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रमाण में आवाकिक रूप में संबंधित उपस्थित जॉन-15 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माण द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुसूचक को रद्द करने से स्थित जायेगा।
- भवन विनियम 2010 की धारा 15.8 के अनुसार भवन विनियम के अगलपगल के अनुसूचक भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुसूचक की होगी।
- उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, स्थान अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कारणवशी से कोई भी खर्च, नुकसान, मुकदमा देना पड़े या देने को पड़े तो आपकी अपनी इस प्रति की पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
- हरबाजे एवं डिजिटल इस प्रकार जमाया जायेगा कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
- इसकी प्रकृतित मजिल के लिए स्वीकृत पुनः हाउसिंग डेवाइस से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
- ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्तों का पालन नहीं होने पर भवन अनुसूचक रद्द मानी जायेगी।
- स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत प्रमाण पत्र के अनुसार ही उपयोग में लेंगा।
- तकनीकीविद्द के निर्माण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविद्द को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टों के अन्दर संबंधित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
- स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने के लिए तथा इसकी सूचना संबंधित उपस्थित जॉन को देगा।
- आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की फैलना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
- भवन परिसर में ही आयुक्तों की पार्किंग करवाई जाये तथा आयुक्तों हेतु निश्चित पार्किंग का कोई संपादन नहीं।
- भवन विनियम की धारा 15.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रमाण पत्र प्राप्त सुनिश्चित किया जाये।

E:\New Folder\hpc-2\hpc\Section letter\19 Point Section Letter-2.doc

18. अग्निशमन दृष्टि से स्थान अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकताानुसार अग्निशमन पत्र (Fire Extinguisher) रखे जायें तथा इनकी संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध सर्वेक्षण की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जायें।
20. अतिरिक्त प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक जेडर टेकर को नियुक्त की जायें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त जेडर टेकर को मोबाइल नंबर एवं Land Line Number भी लिखे जाकर जुनित अनुमोदित जेडपुर महानगर व अधीनस्थानकार्यों को सूचना उपलब्ध करवाई जायें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचत कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन दिग्विमान 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "सबसे लम्बी पर प्रात की गई अथवा लम्बी की छुटकारा प्रात की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त नहीं जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
24. प्रस्तावित इकाई किसी भी स्थापना से यदि उचित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि किसी ती मानवीय स्थापना से प्रकरण उचित है अथवा विपरीत स्थिति है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
25. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्योरा सहित जो पट्टीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जाये, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन को अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासीयों को किसी प्रकार की अशुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान धातु और पर्व लगवाये जायें।

संलग्न- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (8 मानचित्र)

बसदीय

(मुकुंद मिश्रा)

जयपुर नगर निगम एवं

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बीपी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिनिधि- सूचना एवं आवरण कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य निदेशक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (8 मानचित्र) संलग्न कर अधिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपसुक्त, जैन-8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (8 मानचित्र) संलग्न कर अधिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर निदेशक, जैन-8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (8 मानचित्र) संलग्न कर अधिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप नगर निदेशक-रोपीसी (बीपी), जयपुर, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (8 मानचित्र) संलग्न कर अधिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचना प्रेषित है।
6. मुख्य अभियान्ता, मुख्यालय जल सार्वजनिक अभियांत्रिकी विभाग हसनपुर रोड, रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर को सूचना प्रेषित है।

(मुकुंद मिश्रा)

जयपुर नगर निगम एवं

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बीपी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./उत्ते.पुन.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2020/बी-667

दिनांक- 10/6/2020

श्री उमेश मुधा,

निदेशक,

फॉर प्रोग्रेसिव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.

पंजीकृत कार्यालय:- 69/11, धन्वतरी हॉस्पिटल के पास,

न्यू सागानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 88, ग्रुप हाउसिंग ग्राम-सुखिया (रामपुरा), तहसील-सागानेर, जयपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन संबंध।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2019 के संदर्भ में खसरा नम्बर 88, ग्रुप हाउसिंग ग्राम-सुखिया (रामपुरा), तहसील-सागानेर जयपुर में स्थित मुख्यमंड (86300.83 वर्गमीटर) पर 11.40 मीटर (दोस्त तक) चौड़ाई (बेसमेंट-2 + बेसमेंट-1 + मूलतल + प्रथम तल से 13 तल) के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र सभिति (बीपी) की 216वीं बैठक दिनांक 26.07.2019 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापति क्रमांक AA/RHQ/NR/ATM/NOC/REVALIDATION/2014/148/1153-1157 दिनांक 11.07.2019 के अनुसार) दिनांक 15.05.2022 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेविएशन) नहीं किया जायेगा।
3. मुख्यमंड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की ही गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पत्र मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जॉन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर द्वारादि अधिकृत किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्त अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाइकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार दोस्त कयरा निस्सारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्सर्वेशन बिडिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जॉन-08 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा लिख्य लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जॉन 08 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जायेगा।
11. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी नगरपालिका, सख्त अधिकारी तथा नगर मूनि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं छिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकलें हुए नहीं हों।
14. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
16. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
17. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

19. भवन परिवेश में ही आगुत्तकों की पार्किंग करवाई जाए। (यह आगुत्तकों हेतु निशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावे।)
20. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
21. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अग्निवाही द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन बॉय (Fire Extinguisher) रखे जावे तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का दिक्कत अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निवास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
24. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नंबर एवं Land Line Number भी लिखे जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
25. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
26. प्रसंगत प्रकरण विजयी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावे।
27. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्लॉक सहित जो पतनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
28. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान धारों और पर्दे लगाये जावें।
29. निर्मिता भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध कर पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सुचना का बोर्ड (डिस्प्ले) लगाया जावे।
30. प्रकरण भवन मानचित्रों के अनुमोदन का होने के कारण राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) क्लब 2017 (यदि परिचालना रेंज में पंजीकृत है तो) से संबंधित नियमों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का + सेट (11 मानचित्र)

भवदीय



(ओमप्रकाश पारीक)  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपप्राप्त, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जयपुरा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. अवकाश एवं प्रकाश निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि., विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य अभियंता, नुल्लाल जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग हसनपुर रोड, रेलवे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. उपप्राप्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा.रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 को क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(ओमप्रकाश पारीक)  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

नं.वि.प्रा./व.नं.वि./बी.पी.सी.(बीपी)/2022/डी-1/719

दिनांक-18/11/2022

श्री उमेश गुप्ता,

निदेशक,

फॉर प्रेमसागर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.,

801-803, अर्नियस मॉल, टीक रोड, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 08 गुग हाउसिंग ग्राम-सुखिया (राजपुरा) तहसील-सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित गुग हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपके प्राशन तब दिनांक 02.02.2022 के सदर्भ में खसरा नम्बर 08, गुग हाउसिंग ग्राम-सुखिया (राजपुरा) तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित भूखण्ड (9.630.03 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित 0.80 मी. (स्लिब) + 55.10 मी + 2.10 मी. (मन्दीर/वाटर टैंक) कुल 58 मीटर ऊँचाई के प्रस्तावित गुग हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये किन्हीं भवन मानचित्र सामग्री (बीपी) की 259वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती है:

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 15.05.2024 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का उत्सर्जन (डिवायेशन) नहीं किया जाएगा।
3. दरवाजा के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीशियन का उत्तरदायी होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत मानचित्र इन्फ्रा मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन नियमों के अनुरूप है। यदि कोई उत्सर्जन प्राधिकरण की जानकारी में आता तो प्राधिकरण को भवन मानचित्र की ही गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्राप्ति के किसी भी प्रकार की स्टेप्डार्ट का प्रदत्त नहीं होगा।
4. भवन द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्टी को पर लगाया जाएगा जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त सम्बंधित जोन C प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नंबर द्वारा 24 घंटे उपलब्ध किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तों अधिकारी को उपलब्ध होगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति अवश्य रूप से निर्माणकर्ता द्वारा गौरी पर रखी जाएगी।
5. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन निर्माण के आदेशों के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुमोदारी की होगी।
6. उत्सर्जन स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, राक्षस अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकरण सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, मुकदमा, हुआज तथा फर्द या देय योग्य हो तो माथी उनकी इस शर्तों को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. स्वामी जल्द से जल्द के लिए स्वीकृत आवसीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
8. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई सम्बंधित शर्तों का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द बानी जाएगी।
9. विकासकर्ता द्वारा पार्किंग या प्रायमरी पार्किंग प्लान अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
10. भवन मास्टर प्लान में ही आगंतुक की राहें करवाई जाये तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का भी व्यवस्था ली जाये।
11. भवन विनियम 2010 की धारा 16.4 की अनुसूचना में भवन में भूकंपावरोध प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
12. अग्निशमन दृष्टि से खसरा अधिकारी द्वारा दिये गये अनिवार्य प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन सुनिश्चित की जाना आवश्यक होगा तथा भवन की अग्निशमनानुसार अग्निशमन यंत्र (fire extinguisher) रखे जाये तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहे।
13. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण उभरित अनुमोदित मानचित्र, वातावरण जाँच की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं विकास प्लान (escape plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।
14. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक फोरम टकर की निर्वाह की जाये जिसकी पता भवन का मानचित्र, सूचना एवं विकास प्लान (escape plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त जंजर टैबल को संभाईल नंबर एवं Land Line

—

Number में लिखे जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोदस्तराधिकार को सूचना उपलब्ध करवाई जाने लायके किताबें भी दुर्घटना की स्थिति में वंचक कार्य प्रणाली रूप से किये जा सकें।

15. भवन विनियम 2020 की धारा 17.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को भ्रष्टाचार प्राप्त की गई स्वीकृति रद्द गैरस्त माननी जायेगी एवं ऐसी निर्माण समिति प्राप्त करने के लिए आदेशकर्ता की दोषी माना जायेगा।
16. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आदेशक की ही रहने। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विधेयत निहित है तो मानचित्र रद्द ही निरस्त समझ जायेगा।
17. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने से समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण श्रॉय सर्टिफिकेट को फटनेय हो, को ऐसे स्थान पर मुख्य सड़क की ओर लगाया जाये, जिससे सभी लोगों को निश्चित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
18. भवन मानचित्र द्वारा शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के अधिदास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अभिलेखन विभाग का अनुमोदन प्रमाण पत्र तत्पश्चात् विकास में जन कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिदास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
19. भवन निर्माण की समस्त निर्माण समिती से आस्तपस के भवनों के निष्कर्षताओं को किसी प्रकार की अनुमोदन न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चर्चों और पर्दे लगाये जाये।
20. अ काशीय न्यायालय से बचाव हेतु भवन में Underpass (लडिता बल्लण) का प्रावधान रख जाना अनिवार्य होगा।
21. प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सी.ए.आर. की एकर में विद्युतकर्ता द्वारा मूल श्रृंखण्ड पर निम्नानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं:-

क्र.सं.	Category	आवासों की संख्या	सुपर बेल्डअप एरिया
1.	ई.डब्ल्यू.एस. आवास	16 आवास	871.88 वर्गमीटर
	एल.आई.जी. आवास	16 आवास	1308.82 वर्गमीटर
	कुल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास	32 आवास	2180.68 वर्गमीटर

22. विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण बी.ए.ए. की एकर में मूल परियोजना पर प्रस्तावित किये गये कुल अ ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की निर्माण क्षमति 1505.7024 तक की अवधि में पूरा किया जाकर सुचना इस अवधि को दी जानी होगी।
  23. भवन निर्माण 2020 के प्रावधान संख्या 12.14 (3) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत FSI Parking Facility के प्रावधान की सीढ़ी पर सुनिश्चितता की जायेगी।
  24. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का प्रस्तावित नहीं है।
- संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (12 मानचित्र)

भवदीय

वरिष्ठ नगर नियोजक,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित है।
2. उपसूक्त, जेमा-208, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित है।
3. प्रमुख निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., विद्युत भवन जयपुर को सूचनाएं प्रेषित है।
4. मुख्य अभियंता नृत्यालय जयपुर राज्य अभियांत्रिकी विभाग हस्तपुरा एड. रेलवे डिपार्टमेंट के पास जयपुर को सूचनाएं प्रेषित है।
5. (प्राप्त) एड.एस. प्रभु, जयपुर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एड. 80/उपा. रा (प्रभु)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के तहत सूचनाएं प्रेषित है।

वरिष्ठ नगर नियोजक,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



Government of Rajasthan  
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt  
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 12-05-2023 1:45 PM

Fee Receipt No	: 202302190010253	Receipt Date	: 12/05/2023
Name	: SITARAM TODAWAT,	Document S. No.	: 202302190007657
Address	: 00 ,VILLAGE SUKHIYA ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Supplementary Deed/Correction Deed		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 200	Fee for Memorandum Us_64_87	: ₹ 0
CSi	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 150	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1050
		Total Amount	: ₹ 1050

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

# e-Gras Challan 75586923 ₹ 1050

Signature of presenter or applicant for  
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient  
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक  
जयपुर-दशम

# e-Challan

Registration and Stamps department  
Government of Rajasthan

GRN: 0075566923

Payment Date: 12/05/2023 12:43:21

Office Name: Sub Registrar Registration & Stamps Jaipur

Location: JAIPUR (Raj.)

Period: 01/04/2023 To 31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	50.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गौ संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	50.00
3	0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	50.00
4	0030-03-800-01-00-अन्य प्रतियां	200.00
5	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	200.00
6	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	500.00

Commission(-):

0.00

Total/NetAmount:

1050.00

One Thousand Fifty Rupees and Zero Paise Only

## Payee Details:

Full Name: SITARAM TODAWAT	Tin/Act.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(302001)
Address: GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR	Remarks:SITARAM TODAWAT VS PREMSAGAR INFRAPROJECTS PVT LTD TYPE OF DOCUMENT- SUPPLEMENTARY DEED

## Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. - 0
Date:	12/05/2023 12:43:21	Bank CIN No: SBIN7556692312052023
		Reference No: IK0CFYMEU0

Computer generated copy on : 12/05/2023

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director





॥ श्री राम जी ॥

सप्लीमेन्ट्री डीड

यह विलेख आज दिनांक 13 माह मई सन् 2023 ईस्वी को जयपुर शहर में सीतासम टोडावत, आयु 56 वर्ष, पुत्र श्री हरिकिशन टोडावत (बीधरी), जाति जाट, निवासी ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) जिसे इस विलेख सप्लीमेन्ट्री डीड में आगे चलकर शब्द भू-स्वामी/प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द भू-स्वामी/प्रथमपक्ष में वह स्वयं एवं उसके समस्त उत्तराधिकारी, वारिसान्, प्रतिनिधि आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एवं मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1966/2013 के अन्तर्गत गठित एक पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-1, रिफि रेजिडेंसी, प्लॉट नम्बर 11, सैकिण्ड फ्लोर, मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड, जयपुर 302001 जरिये निदेशक श्री मनोज गर्ग, आयु 53 वर्ष, पुत्र श्री राधा किशन गर्ग, निवासी 15-ए,

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक  
जयपुर दसम

आयुधान नगर, महारानी फार्म, जयपुर 302018, (बोर्ड रिजोलूशन दिनांक 11/5/23 के द्वारा अधिकृत) जिसे इस संशोधन पत्र के विलेख में आगे चलकर शब्द विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष ने मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के समस्त निदेशकगण, शेयर होल्डर्स, अंश/हित धारक, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, असाईनीज आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे), के मध्य निम्न प्रकार से तहरीर एवं तकमील किया जाता है।

जो कि ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड अन्तर्गत खसरा नम्बर 88 स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज है। उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की चारो सीमाओ में पूर्व की ओर सड़क 48.00 मीटर चौड़ा सरकारी वास्ते आमद रफ्त, पश्चिम की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर सड़क 18.00 मीटर चौड़ी सरकारी वास्ते आमद रफ्त एवं दक्षिण की ओर अन्य भूमि, स्थित है।

जो कि उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के संबंध में चाही गई समस्त राशियाँ प्रथमपक्ष के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराने के उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध में पट्टा विलेख क्रमांक 148 दिनांक 28.12.2013 को प्रथमपक्ष के नाम से निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251, पृष्ठ संख्या 107, क्रम संख्या 2014399000167 पर दिनांक 13.01.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003, पृष्ठ संख्या 83 से 92 तक पर चप्पा की गई।

जो कि प्रथमपक्ष के उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने के संबंध में एक डवलपमेंट एग्रीमेंट का दस्तावेज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य दिनांक 14.02.2014 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक पंचम, जयपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 751, पृष्ठ संख्या 100, क्रम संख्या 2014397002443 पर दिनांक 24.02.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3002, पृष्ठ संख्या 614 से 625 तक पर चप्पा की गई।

जो कि उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने के आशय से भवन निर्माण स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नियमानुसार अनुमोदित करके जारी की गई है।

*(Signature)*

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

*(Signature)*

Director





Presentation Endorsement

आज दिनांक 12 माह 05 मन् 2023 को 01:25 PM बजे  
प्रीतीमती/सुप्री SITARAM TODAWAT पुनःपुनःपति श्री HARIKISHAN  
TODAWAT CHOUDHARY  
उम्र 56 वर्ष, जाति 0-HINDU, व्यवसाय Other  
निवासी House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area:  
SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR,  
State: RAJASTHAN  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
202301190007657

Supplementary Deed/Correction Deed

हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
JAIPUR-X

उप पंजीयक  
जायपुर देसम

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302190010253
दिनांक	12-05-2023
पंजीयन शुल्क ₹	200
प्रतिनिधि शुल्क ₹	0
पूछागन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
कुल योग	1050

202301190007657

Supplementary Deed/Correction Deed

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75586923 ₹ 1050

उप पंजीयक, JAIPUR-X

उप पंजीयक  
जायपुर देसम

जो कि द्वितीयपक्ष के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त निर्माण अनुमतियों तथा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी, राजस्थान के प्रावधानों व पंजीकरण की शर्तों के अधीन उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर "बी" टॉवर का निर्माण कराया जा रहा है जो वर्तमान में संचित हैं, उपरोक्त "बी" टॉवर की सीमाओं सहित भूमि का विशिष्ट विवरण इस सप्लीमेंट्री डीड के अंत में "परिशिष्ट 1" में दर्ज है।

जो कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर निर्माणाधीन "बी" टॉवर तथा उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में ब्रोशर में बताये क्लब हाउस व कॉमन भाग के निर्माण/विकासकार्य (जैसा कि परिशिष्ट 3 में दर्ज हैं) को छोड़कर शेष "ए" टॉवर (जिसका विशिष्ट विवरण इस सप्लीमेंट्री डीड के अंत में परिशिष्ट 2 में दर्ज हैं) का निर्माण कार्य स्वयं करने में असमर्थ हैं, इसलिये द्वितीयपक्ष ने उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित ए ब्लॉक का निर्माण व विकास करने हेतु द्वितीयपक्ष के समस्त अधिकारों को विलोपित/समाप्त कर मैसर्स विवांता कॉरपोरेशन को मुख्य विकासकर्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव किया, चूंकि प्रथमपक्ष स्वयं अपनी भूमि का विकासकार्य कराने का इच्छुक है और द्वितीयपक्ष शेष निर्माणकार्य करने में अपनी असहमति दर्शा चुका है अतः प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष इस सप्लीमेंट्री डीड का निष्पादन निम्न प्रकार करते हुये अपने अपने अधिकारों को सीमित करके नये विकासकर्ता मैसर्स विवांता कॉरपोरेशन को अनुबंध में प्रवेश करने के लिये दरस्तावेज निम्नलिखित शर्तों पर निष्पादन करते हैं:-

1. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा इस सप्लीमेंट्री डीड के अंत में "परिशिष्ट 1" में वर्णित भूमि पर बी-टॉवर का निर्माण परिशिष्ट 3 में बताये कार्यों के साथ किया जायेगा और उसमें लगने वाला समस्त खर्चा व प्रयास द्वितीयपक्ष के द्वारा किये जायेंगे।
2. यह कि अबसे "परिशिष्ट 2" में वर्णित भूमि जिसपर कि ए-टॉवर का निर्माण कराया जाना है, से तथा उससे जुड़े किसी हिट, अंश व भाग से द्वितीयपक्ष एवं उसके किसी निदेशकगण, शेयरहोल्डर्स, असाईनीज आदि का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में होगा। प्रथमपक्ष अब "परिशिष्ट 2" में वर्णित भूमि के संबंध में मैसर्स विवांता कॉरपोरेशन जरिये प्रोपराइटर विवेक चौरडिया के साथ नया डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित करने, अनुपात व शर्तें तय करने को स्वतंत्र है, जिसमें द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
3. यह कि प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य निष्पादित डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक 14.02.2014 की विषयवस्तु संपत्ति ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75

*For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.*



*For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.*

Director



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/शुभ्री SITARAM TODAWAT, पुरु/पुत्री/पति श्री HARIKISHAN TODAWAT CHOUDHARY, व्यवसाय Other/नरति O-HINDU House No.:06, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area: SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 56 Signature :
2 श्री/श्रीमती/शुभ्री MANOJ GARG DIRECTOR PREMSAGAR INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED, पुरु/पुत्री/पति श्री RADHA KRISHAN GARG, व्यवसाय Other/नरति O-HINDU House No.:00, Colony: S-1 RISHI RESIDENCY PLOT NO. 11 SECOND FLOOR MISHON COMPOUND, Area: AJMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 53 Signature :

मे सेल्वगव Supplementary Deed/Correction Deed को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

इतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 0/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान विश्व व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निम्नान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/शुभ्री CHETAN, पुरु/पुत्री/पति श्री DEVENDRA नरति HINDU Age: 24 Add: House No.:516, Colony: PARIS POINT, Area: BANU PARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/शुभ्री ANKIT JAIN, पुरु/पुत्री/पति श्री KAILASH CHAND JAIN नरति HINDU Age: 33 Add: House No.:55/2, Colony: FLAT NO. 203, FIRST FLOOR NALSHTRA EMPIRE KAMLA NEHRU NAGAR, Area: HEERAPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202301190007857

उप पंजीयक, JAIPUR X

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयक  
जायपुर दसम



वर्गज स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के स्थान पर "परिशिष्ट 1" में वर्णित भूमि तक सीमित किया जाता है अबसे द्वितीयपक्ष को "परिशिष्ट 1" में वर्णित भूमि के अतिरिक्त शेष भाग की भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, क्लेम व दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

4. यह कि द्वितीयपक्ष पुष्टि करता है कि उसके द्वारा परिशिष्ट 2 में दर्शायी गई भूमि के संबंध में किसी भी अग्रिम क्रेता, व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि से किसी प्रकार का कोई अनुबंध, करार, बंधक, हस्तान्तरण आदि नहीं किया है और ना ही किसी कोई परिशिष्ट 2 में दर्शायी भूमि व ए-टॉवर के संबंध में कोई वायदा, वचन आदि दिया है। परिशिष्ट 2 में दर्शायी गई भूमि द्वितीयपक्ष की ओर से समस्त प्रकार के ऋण-भार, बंधक, डगडे-टंटे, वाद-विवाद, कर्जा-कुर्सी, जोखिन आदि से मुक्त पाक एवं साफ है।
5. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा बी-टॉवर के अतिरिक्त परिशिष्ट-3 में बताये क्लब हाउस व अन्य सुखसुविधाओं आदि का विकासकार्य किया जा रहा है। इन सभी सुविधाओं का उपयोग व उपभोग समान रूप से ए-टॉवर के युनिटधारी/प्लेटधारी भी करेंगे अतः प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने तय किया है कि परिशिष्ट 2 के संबंध में किये जाने वाले डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट में द्वितीयपक्ष भी एक पक्षीय होगा और द्वितीयपक्ष अपने द्वारा किये गये विकासकर्ता, निर्माण कार्य के लिए एक निश्चित अनुपात में राशि ए-टॉवर में प्राप्त करेगा, जिसके संबंध में प्रथमपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ द्वितीयपक्ष यह अनिवार्यतः सहमति प्रथमपक्ष व मैसर्स विजांता कॉरपोरेशन को प्रदान करता है कि ए-टॉवर के समस्त युनिटधारियों को परिशिष्ट 3 में बतायी सुविधाएँ उपयोग व उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त के साथ ही द्वितीयपक्ष पुष्टि करता है कि वह ए-टॉवर के युनिटधारियों से परिशिष्ट 3 में बतायी सुविधाएँ उपयोग व उपभोग में लेने के लिये कोई राशि व प्रतिफल की मांग नहीं करेगा।
6. यह कि इस सप्लीमेन्ट्री डीड के माध्यम से द्वितीयपक्ष के दायित्वों व अधिकारों को सीमित किया गया है तथा डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांक 14.02.2014 की शेष शर्तें दोनों पक्षों के मध्य यथावत रहेंगी।



For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director




Registration Endorsement

आज दिनांक 30/05/2023 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 332 में  
पृष्ठ संख्या 64 क्रम संख्या 202303190107797 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1326 के  
पृष्ठ संख्या 214 से 225 पर चरखा किया गया।

202301190007657

Supplementary Deed/Correction Deed

  
उप पंजीयक  
जयपुर दस्तावेज  
JAI PUR-X

7. यह कि मूल डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक 14.02.2014 में त्रुटिपत्र उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का क्षेत्रफल 11518.47 वर्गगज लिख दिया गया जिसे भविष्य में 11518.75 वर्गगज पढ़ा जाये।

यह सप्लीमेंट्री डीड मूल डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक 14.02.2014 का एक अभिन्न भाग रहेगा एवं सदैव साथ पढ़ा जायेगा।

यह कि इस सप्लीमेंट्री डीड के साथ एक नक्शा भी संलग्न किया गया है, जिसमें ए-टॉवर की भूमि को लाल रंग से तथा बी-टॉवर की भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा इस सप्लीमेंट्री डीड का अभिन्न भाग है एवं सदैव साथ पढ़ा जायेगा।

अतः यह सप्लीमेंट्री डीड का दस्तावेज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने अपने अपने पूर्ण होश हवास की दुरुस्ती में बिना किसी जबर व दबाव के लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये। इति दिनांक 12-माह नई सन् 2023 ईस्वी।



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

(सीताराम टोडावत)

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

(मनोज गर्ग) Director

निदेशक - मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ताक्षर गवाह-1

Chetan Banipark Jaipur  
S16 Paris Point

हस्ताक्षर गवाह-2

Ankit Jain  
H.No. 12, Flat No. 203 First Floor, Walshtra Emprie  
Karda Nehru Nagar, Heersapura Jaipur

उप पंजीयक  
जयपुर दसम्



## परिशिष्ट-1

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में से बी-टॉवर की भूमि कुल क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्गगज, जिसकी चारो सीमाओ में पूर्व की सेटबैक एरिया उसके बाद टॉवर नम्बर ए की भूमि, पश्चिम की ओर सेटबैक एरिया उसके बाद अन्य की भूमि, उत्तर की ओर सेटबैक एरिया उसके बाद सड़क 18.00 मीटर चौड़ी और दक्षिण की ओर सेटबैक एरिया उसके बाद अन्य की भूमि, स्थित है। बी-टॉवर की भूमि को संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-2

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में से ए-टॉवर की भूमि कुल क्षेत्रफल लगभग 4640 वर्गगज, जिसकी चारो सीमाओ में सेटबैक एरिया उसके बाद सड़क 48.00 मीटर चौड़ी, पश्चिम की ओर सेटबैक एरिया उसके बाद टॉवर नम्बर बी, उत्तर की ओर सेटबैक एरिया उसके बाद सड़क 18.00 मीटर चौड़ी एवं दक्षिण की ओर सेटबैक एरिया उसके बाद अन्य की भूमि, स्थित है। ए-टॉवर की भूमि को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-3

द्वितीयक के द्वारा विकसित सुविधाओ का विवरण

क्लब हाउस  
पोरिज  
लिफ्ट टैरिज

बी-टॉवर के बेसमेन्ट व स्टील फ्लोर पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता,  
गार्डन एरिया,  
जोगिंग ट्रेक  
पैसेज,  
कॉमन भाग आदि

For Prawn Nagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक  
जयपुर दसम

Government of Rajasthan  
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt  
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 12-05-2023 1:35 PM

Fee Receipt No	: 202302190010252	Receipt Date	12/05/2023
Name	: VIVEK CHORDIA PROPRITOR VIVANTA CORPORATION,	Document S. No.	202301190007659
Address	: 29 ,JANPATH ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Agreement		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	₹ 285834
Ord-Registration Fee	: ₹ 285834	Fee for Memorandum Us	₹ 300
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	₹
Stamp (Memorandum)	: ₹	Rag (memorandum)	₹ 383018
Surcharge	: ₹ 114906	Stamp Duty	₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	: ₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 784358
		Other than Cash	₹ 784358
		Total Amount	₹ 1331987

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

# e-Gras Challan 75563795 ₹ 285834 # eStamp IN-RJ92648788089331V ₹ 497924

Signature of presenter or applicant for  
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient  
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR  
उप-पंजीयक  
जयपुर दसम्



# e-Challan

Registration and Stamps department,  
Government of Rajasthan



GRN: 0075563795



Payment Date: 12/05/2023 12:13:36

Office Name: Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2023-To-31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रतियाँ	600.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	285834.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 286434.00

Two Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Thirty Four Rupees and Zero Paise Only

## Payee Details:

Full Name: VIVANTA CORPORATION

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): Jaipur(302001)

Address:GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE  
SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR

Remarks:SITARAM TODAWAT AND PREMSAGAR  
INFRAPROJECTS PVT LTD VS VIVANTA CORPORATION

TYPE OF DOCUMENT — DEVELOPER AGREEMENT

## Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: SBIN7556379512052023

Date: 12/05/2023 12:13:36

Reference No: IK0CFYKJH

Computer generated copy on : 12/05/2023

Courty : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

(Signature)



For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

(Signature)

Director

VIVANTA CORPORATION

(Signature)

Proprietor



INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp



Certificate No.	: IN-RJ92648788089331V
Certificate Issued Date	: 12-May-2023 12:16 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ RJ3064204/ JAIPUR/ RJ
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJ306420474547512414420V
Purchased by	: VIVANTA CORPORATION
Description of Document	: Article 5(e) Developer Agreement (Sale power)
Property Description	: GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SITARAM TODAWAT AND PREMSAGAR INFRAPROJECTS P LTD.
Second Party	: VIVANTA CORPORATION
Stamp Duty Paid By	: VIVANTA CORPORATION
Stamp Duty Payable (Rs.)	: 3,83,018 (Three Lakh Eighty Three Thousand And Eighteen only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	: 38,302 (Thirty Eight Thousand Three Hundred And Two only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	: 38,302 (Thirty Eight Thousand Three Hundred And Two only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	: 38,302 (Thirty Eight Thousand Three Hundred And Two only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 4,97,924 (Four Lakh Ninety Seven Thousand Nine Hundred And Twenty Four only)


For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

₹4,97,924



IN-RJ92648788089331V  
0001091334

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shikhestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



॥ श्री एच. सी. एस.  
डवलपमेंट एपीएम

यह डवलपमेंट एपीएम का दस्तावेज आज दिनांक 15 मार्च 2023 ईस्वी को निम्न प्रकार लिखा न तबदीक किया गया-

सीताराम टोडावत, आयु 56 वर्ष, पुत्र श्री हरिकिशन टोडावत (घोषरी), जाति जाट, निवासी ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.), आधार नम्बर 5157-7684-4614, PAN : AEVPC1046F जो भू-स्वामी है, जिसे इस लेख्य पत्र में आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द भू-स्वामी प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द भू-स्वामी प्रथमपक्ष से भू-स्वामी सीताराम टोडावत स्वयं एवं उसके समस्त उत्तराधिकारी, वारिस्तान्, प्रतिनिधि इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे)

एवं

VIVANTA CORPORATION

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Proprietor

Director

उप पंजीयक  
जयपुर दसम





मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (PAN : AAHCP4742N), जो कि भारतीय अंगीकारी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत गठित एक पंजीबद्ध कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-1, रिचि रेजिडेंसी, प्लॉट नम्बर 11, सैकिण्ड पलोर, मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड, जयपुर 302001 तथा कॉरपोरेट पहचान संख्या U45201RJ2013PTC044444, जरिये कम्पनी के बोर्ड रिजोल्यूशन दिनांक 11/5/23 के द्वारा अधिकृत कम्पनी के निदेशक श्री मनोज गर्ग, आयु 53 वर्ष, पुत्र श्री राधा क्रिशन गर्ग, निवासी 15-ए, आयुवान नगर, महारानी फार्म, जयपुर 302018, आधार नम्बर 3314-6960-6971, जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द द्वितीयपक्ष में मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के समस्त निदेशकगण, शेयर होल्डर्स, असाईनीज, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे)

की ओर से

मैसर्स दिवांता कारपोरेशन, कार्यालय 29, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर (राज.) जरिये प्रोपराइटर श्री विवेक चौरेडिया, आयु 41 वर्ष, पुत्र श्री विनय चौरेडिया, निवासी 61, संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम, जयपुर (राज.) आधार नम्बर 8318-7239-8957, PAN : AEHPC7869N जो विकासकर्ता है, जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर शब्द "विकासकर्ता तृतीयपक्ष" से सम्बोधित किया गया है। (शब्द विकासकर्ता तृतीयपक्ष में विकासकर्ता मैसर्स दिवांता कारपोरेशन के प्रोपराइटर स्वयं एवं उसके समस्त उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) के हित में निम्न प्रकार निम्नादित किया गया है।

भाग-प्रथम

परिचय

इस डबलपमेंट एग्रीमेन्ट में जब तक कि कोई बात इसके विरोधाभासी अथवा अन्यथा तात्पर्य न हो:-

"कॉम्प्लेक्स/बहुमंजिला इमारत" से तात्पर्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11618.75 वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) की भूमि पर निर्मित किये जाने वाले ए-टॉवर/ए-ब्लॉक को बहुमंजिला भवन/भवनों से होगा जिसमें निर्मित की जाने वाली अतिरिक्त मंजिलें व निर्माण भी शामिल होगा। इमारत का नाम पत्रकारों द्वारा आपसी सहमति से तय किया जावेगा।

(हस्ताक्षर)

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

(हस्ताक्षर)

Director

VIVANTA CORPORATION

(हस्ताक्षर)

Proprietor



Presentation Endorsement

बज दिनांक 12 माह 05 सन् 2023 को 12:27 PM बजे  
श्री/श्रीमती/पुत्री/पुत्र/पुत्री/पुत्र श्री HARIKISHAN  
TODAWAT CHOUHARY  
उय 58 वर्ष, जाति O-HINDU, व्यवसाय Other  
निवासी House No.:000, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area:  
SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR,  
State: RAJASTHAN  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

*(Signature)*  
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

*(Signature)*  
हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
JAIPUR-X  
उप पंजीयक  
जयपुर दशम

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302190010252
दिनांक	12-05-2023
पंजीयन शुल्क ₹	285834
प्रतिनिधि शुल्क ₹	300
पुष्टांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	383018
कमी सरकारी शुल्क ₹	114906
कुल योग	784358

202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 75583795 ₹ 280434 #  
eStamp IN-RJ92648788089331V ₹  
497824

*(Signature)*  
उप पंजीयक, JAIPUR-X  
उप पंजीयक  
जयपुर दशम

Endorsement of Execution

"कॉमन एरिया" एवं "कॉमन सेवार्य" से तात्पर्य प्रस्तावित उक्त बहुमंजिला इमारत में विभिन्न मालिकों व निवासियों के सामुहिक उपयोग व उपभोग हेतु निर्धारित व आरक्षित कॉमन क्षेत्र व सेवाओं से होगा।

3. "आच्छादित पार्किंग स्थल" से तात्पर्य उक्त इमारत में वाहनों के पार्किंग हेतु आरक्षित शिथिल क्षेत्र से होगा।
4. "भूमि/परियोजना भूमि" से तात्पर्य ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम खुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में से ए-टॉवर/ए-ब्लॉक हेतु चिन्हित भूमि करीब 4640.00 वर्गगज से होगा, जिसका विशिष्ट विवरण परिशिष्ट 2 में दर्शाया गया है।
5. "पार्किंग क्षेत्र" से तात्पर्य भवन/इमारत में वाहनों की पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र से होगा।
6. "यूनिट/इकाई" एक सामुहिक शब्द है जो इमारत के हर फ्लेट/अपार्टमेंट को अलग अलग दिया जायेगा।

#### भाग-द्वितीय

##### ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड का विवरण

जो कि वाके ग्राम खुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड अन्तर्गत खसरा नम्बर 88 स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज है। उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड की चारो सीमाओं में पूर्व की ओर सेक्टर रोड 46.00 मीटर चौकी सरकारी बास्ते आमद रफ्त, पश्चिम की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर सड़क 18.00 मीटर चौकी सरकारी बास्ते आमद रफ्त एवं दक्षिण की ओर अन्य भूमि, स्थित है।

##### स्वामित्व भुंखला-

- (1) जो कि उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड की भूमि के संबंध में चाही गई समस्त शर्तों प्रथमपक्ष के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराने के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड के संबंध में पट्टा दिलेख क्रमांक 148 दिनांक 28.12.2013 को प्रथमपक्ष के नाम से निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251, पृष्ठ संख्या 107, ग्राम संख्या 2014399000167 पर दिनांक 13.01.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003, पृष्ठ संख्या 83 से 92 तक पर घस्या की गई।

- (2) कालांतर में प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार बहुमंजिला



Director

VIVANTA CORPORATION  
Proprietor





अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	प्रकार
1 श्री/श्रीमती/पुत्री SITARAM TODAWAT, पुत्र/पुत्री/पति श्री HARIKISHAN TODAWAT CHOUDHARY, जन्मस्थान Other/जाति O-HINDU House No.:000, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area: SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 56 Signature :
2 श्री/श्रीमती/पुत्री MANOJ GARG DIRECTOR PREMSAGAR INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED, पुत्र/पुत्री/पति श्री RADHA KRISHAN GARG, जन्मस्थान Other/जाति O-HINDU House No.:00, Colony: S-1 RISHI RESIDENCY PLOT NO. 11 SECOND FLOOR MISHION COMPOUND, Area: AJMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 53 Signature :
3 श्री/श्रीमती/पुत्री VIVEK CHORDIA PROPRIETOR VIVANTA CORPORATION, पुत्र/पुत्री/पति श्री VINAY CHORDIA, जन्मस्थान Other/जाति O-HINDU House No.:29, Colony: JANPATH, Area: SHYAM NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 41 Signature :

मेने डेवेलपर Developer Agreement (Sale power) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे खजान / मे से रु 0/- पूर्व में \_\_\_\_\_ से मेरी राशदा प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कार्यों की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निम्न मेरे समक्ष लिख गए हैं।

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/पुत्री CHETAN, पुत्र/पुत्री/पति श्री DEVENDRA जाति HINDU Age: 24 Add: House No.:516, Colony: PARIS POINT, Area: BANI PARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature :
2 Name: श्री/श्रीमती/पुत्री ANKIT JAIN, पुत्र/पुत्री/पति श्री KAILASH CHAND JAIN जाति HINDU Age: 33 Add: House No.:58/2, Colony: FLAT NO. 203, FIRST FLOOR NALSHTRA EMPIRE KAMLA NEHRU NAGAR, Area: HEERAPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature :

202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

जयपुर, JAIPUR-X

जयपुर दस्तावेज

भारत का निर्माण करने के संबंध में एक डवलपमेंट एग्रीमेंट का दस्तावेज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य दिनांक 14.02.2014 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक पंचम, जयपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 751, पृष्ठ संख्या 100, क्रम संख्या 2014397002443 पर दिनांक 24.02.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3002, पृष्ठ संख्या 514 से 525 तक पर चप्पा की गई। उक्त डवलपमेंट एग्रीमेंट में व्याप्त द्वितीयपक्ष के कार्यक्षेत्र व विषयवस्तु संपत्ति को सीमित करते हुये द्वितीयपक्ष का कार्यक्षेत्र व क्षेत्राधिकार बी-टॉवर के निर्माण तक सीमित किया गया तथा इस संबंध में सप्लीमेंट्री डीड का निष्पादन पक्षकारान् के मध्य में किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक द्वितीय के यहाँ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 332, पृष्ठ संख्या 64, क्रम संख्या 202303190167297 पर दिनांक 30/5/23 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1326, पृष्ठ संख्या 214 से 225 तक पर चप्पा की गई।

यह कि उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करने के संबंध में निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु द्वितीयपक्ष के द्वारा आवेदन किया गया और इस संबंध में आवश्यक समस्त शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराये गये, जिसके उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर इमारत का निर्माण करने हेतु भवन मानचित्र 26.90 मीटर ऊँचाई की जरिये पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2018/डी-1525 दिनांक 01.07.2016 के अनुमोदित किये गये। तत्पश्चात् द्वितीयपक्ष के आवेदन पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा 41.40 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जरिये पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./अतिमु.नि./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2020/डी-667 दिनांक 10.08.2020 के अनुमोदित किये गये तथा वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 58 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जरिये संशोधित भवन मानचित्र पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./व.न.नि./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2022/डी-1719 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अनुमोदित कर जारी किये हुये हैं।

जो कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड खसरा नम्बर 88, ग्राम खुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि पर ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि क्षेत्रफल लगभग 4640.00 वर्गगज पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त भवन निर्माण अनुमति के क्रम में विकासकार्य करने के संबंध में यह डवलपमेंट एग्रीमेंट विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हित में निष्पादित किया जा रहा है जिसे

*(Signature)*



For Prem Sugar Infra Projects Pvt. Ltd.

*(Signature)*

Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor



Registration Endorsement

आज दिनांक 30/05/2023 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 332 में  
पृष्ठ संख्या 65 क्रम संख्या 202303190107798 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1326 के  
पृष्ठ संख्या 226 से 253 पर चप्पा किया गया।

202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

उप पंजीयक PUR-X  
जयपुर दसम



इस विलेख में आगे सुविधा की दृष्टि से "परियोजना भूमि" के नाम से सम्बोधित किया गया है।

जो कि पूर्व में द्वितीयपक्ष को उपरोक्त संपूर्ण ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का विकासकार्य करना था और इसी क्रम में द्वितीयपक्ष के द्वारा समस्त भवन निर्माण अनुमतियों और अन्य आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त की गईं, चूंकि द्वितीयपक्ष के द्वारा उपरोक्त संपूर्ण ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध में अपनी पूंजी व्यय की है और वह प्रस्तावित ए-ब्लॉक/ए-टॉवर का निर्माण करने में असमर्थ है इसलिये द्वितीयपक्ष के द्वारा विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर ए-ब्लॉक/ए-टॉवर विकसित करने के लिये प्रस्ताव किया गया, जिसपर प्रथमपक्ष की पूर्ण सहमति है। विकासकर्ता तृतीयपक्ष जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से बहुमंजिला इमारत बनाने के कार्य में निपुण है एवं उसका मुख्य व्यावसाय इमारतों का निर्माण व विकसित कर विक्रय करना है जिसके लिये विकासकर्ता तृतीयपक्ष सभी सुविधाओं से सम्पन्न एवं अपने कार्य में निपुण है। प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने विकासकर्ता तृतीयपक्ष को आश्वस्त किया है कि ए-ब्लॉक/ए-टॉवर में कुल निर्मित क्षेत्रफल 280000 वर्गफीट होगा जिसमें से लगभग 228000 वर्गफीट विक्रय योग्य भाग होगा। चूंकि विकासकर्ता स्वयं बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने का इच्छुक है इसलिये विकासकर्ता द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के उपरोक्त प्रस्तावों के क्रम में दिये गये आवश्यकताओं पर स्वीकार कर प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को संतुष्ट कर दिया है, इसलिये यह उपलब्ध एग्रीमेंट प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं तृतीयपक्ष के मध्य निम्न शर्तों पर लेखबद्ध किया जाकर निष्पादित किया जा रहा है। उपलब्ध एग्रीमेंट की शर्तों से भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं विकासकर्ता तृतीयपक्ष स्वयं एवं उनके तमस्त पक्षकार उनके शेयर होल्डर्स, निदेशकगण, असोसिनेट्स, हस्ताक्षरकर्ता इत्यादि सभी बाबन्द व बाध्य रहेंगे।

#### भाग तृतीय

##### प्रतिबद्धता-

1. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष घोषणा करता है कि यह विकासकर्ता तृतीयपक्ष को यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने व उस पर हस्ताक्षर करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत व सक्षम है भू-स्वामी प्रथमपक्ष यह भी अभिवचन करता है कि उसके अतिरिक्त उक्त "परियोजना भूमि" पर किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा, अधिकार अथवा हित निहित नहीं है।
2. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष ने उक्त "परियोजना भूमि" का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा आज इस विलेख के निष्पादन के साथ ही नीचे पर जाकर विकासकर्ता तृतीयपक्ष को संभला दिया है तथा विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उक्त "परियोजना भूमि" पर निर्माण करने, विकास करने तथा उक्त "परियोजना भूमि" की भूमि पर

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd. VIVANTA CORPORATION

6/4/20



*[Signature]*

Director

*[Signature]*  
उप पंजीयक  
दसम

*[Signature]*  
Proprietor

ए-प्लॉक/ए-टॉवर के अन्तर्गत विभिन्न फ्लैट्स/अपार्टमेंट्स इत्यादि का निर्माण करने, विक्रय आदि करने हेतु सम्पूर्ण रूप से अधिकृत कर दिया है, जिसपर द्वितीयपक्ष की पूर्ण सहमति है।

3. यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष उक्त "परियोजना भूमि" से सम्बन्धी जेडीए जयपुर द्वारा अनुमोदित मूल मानचित्र विकासकर्ता द्वितीयपक्ष को सुपुर्द करेगा।
4. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष घोषित करते हैं कि उनके द्वारा आज दिन तक उक्त "परियोजना भूमि" अथवा उसके किसी हिस्से, हिस्से, अंश व भाग के बाबत किसी प्रकार का कोई लीज, विक्रय पत्र, अनुबन्ध अथवा कोई व्यवस्था, विकास अनुबन्ध अथवा निर्माण बाबत नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का कोई चार्ज, लिफ्ट, रहन अथवा भार किसी प्रकार का उक्त सम्पत्ति पर किया है अथवा है तथा उक्त "परियोजना भूमि" प्रत्येक प्रकार के भार, चार्ज से पूर्णतया मुक्त है तथा उक्त "परियोजना भूमि" इस अनुबन्ध के प्रभावशील रहने तक समस्त प्रकार के चार्ज भार आदि से भू-स्वामी प्रथमपक्ष मुक्त रखेगा।

यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष घोषित करते हैं कि उनके द्वारा आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है अथवा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा लेखपत्र निष्पादित नहीं किया है जिसके कारण उक्त "परियोजना भूमि" के विकास अथवा ए-प्लॉक/ए-टॉवर के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तथा विकासकर्ता तृतीयपक्ष के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

6. यह कि विकासकर्ता मैसर्स विवांता कॉरपोरेशन द्वारा उक्त "परियोजना भूमि" के विकास व निर्माण हेतु जो भी प्लान्ट, मशीनरी, टूल्स, संयंत्र, स्टोर्स और सामग्री आदि जो भी निर्माण स्थल पर लायी जावेगी वह हमेशा एकमात्र विकासकर्ता की सम्पत्ति रहेगी तथा पक्षकारों में यह स्पष्ट रूप से तय व स्वीकार किया गया है कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष या द्वितीयपक्ष कभी भी किसी भी समय पर उक्त प्लान्ट, मशीनरी, यंत्र-संयंत्र, टूल्स सामान व सामग्री पर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करेगा व विकासकर्ता उक्त प्लान्ट, मशीनरी, यंत्र-संयंत्र, टूल्स सामान व सामग्री को कभी भी, कहीं भी ला व ले जा सकेगा।

7. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष ने यह भी स्पष्ट अभिकथित किया है कि "परियोजना भूमि" का उपरोक्त अनुसार एकमात्र पूर्णरूपेण स्वामी है। यदि कभी भी किसी समय किसी भी व्यक्ति, एजेंसी, संस्था, बैंक अथवा भू-स्वामी प्रथमपक्ष के परिवार के किसी सदस्य द्वारा उक्त "परियोजना भूमि" के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो भू-स्वामी प्रथमपक्ष उस विवाद को उसके प्रारंभ की दिनांक से तीन माह के अन्दर अपने स्वयं के खर्च पर

For Prim Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director



निपटा लेगा। यह भी तय पाया है कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष हमेशा उपरोक्त 'परियोजना भूमि' के स्वामित्व के संबंध में विकासकर्ता व उसके भावी वंशजों को होने वाली किसी भी क्षति की क्षतिपूर्ति करने हेतु स्वयं सदैव उत्तरदायी है व रहेगा।

8. यह कि विकासकर्ता को भू-स्वामी प्रथमपक्ष द्वारा जरिये मुख्याारनामा/अधिकार पत्र द्वारा भू-स्वामी प्रथमपक्ष के नाम से व उसकी ओर से विभिन्न विभागों/अधिकरणों/कार्यालयों आदि में आवश्यकतानुसार उपस्थित होने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, भू-स्वामी प्रथमपक्ष का प्रतिनिधित्व करने, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, आवेदन करने, इमारत के निर्माण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार का कोटा/सक्षमता व अन्य सीमेन्ट, स्टील, ईट आदि अन्य आवंटन आदि प्राप्त करने, स्याई/अस्याई विद्युत व पानी कनेक्शन प्राप्त करने हेतु तथा अन्य समस्त वांछित कार्यवाही भू-स्वामी प्रथमपक्ष की ओर से करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

9. यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं तृतीयपक्ष के द्वारा अपने अपने अनुपात के अनुसार अपने अपने हिस्से के फ्लेट्स/अपार्टमेंट्स का घयन किया गया है। पक्षकारों में तय हुआ है कि सभी पक्ष अपने चिन्हिकरण में आये फ्लेट्स को स्वयं विक्रय करेंगे और उसकी विक्रय प्रतिफल राशि संबंधित पक्षकार स्वयं प्राप्त करेगा। यहाँ प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष पुष्टि करते हैं कि वे विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हिस्से में आये फ्लेट्स के संबंध में समस्त लिखित एवं मौखिक कार्यवाही करने, विक्रय करने के अधिकार सहित एक मुख्याारनामा आम विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हित में पंजीबद्ध करायेगें। प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के द्वारा विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हित में निष्पादित इस मुख्याारनामा आम को प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को इस डवलपमेंट एग्रीमेन्ट के प्रभाव में रहने तक निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा।

10. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व विकासकर्ता तृतीयपक्ष तीनों पक्षकार अपना-अपना आयकर अथवा अन्य प्रकार की समस्त जिम्मेदारी के प्रति निजी तौर पर उत्तरदायी होंगे।

11. यह कि उक्त परियोजना भूमि पर इमारत निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने के पंजीयक पर्याप्त निर्माण कार्य के दौरान किसी स्तर पर यदि वर्तमान जम्मा दस्तावेज नियम/उपनियमों आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा छूट दी जाती है तो विकासकर्ता इस प्रकार के संशोधन/छूट के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त क्षेत्र/मंजिलों की अनुमति अपने स्वयं के व्यय पर प्राप्त करेगा। यह भी तय किया गया है कि विकासकर्ता अतिरिक्त निर्माण करने हेतु/अतिरिक्त मंजिल निर्माण हेतु एकमात्र पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।

VIVANTA CORPORATION

For Prem Sagai Infra Projects Pvt. Ltd.

Proprietor

Director



12. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष किसी प्रकार की रुकावट अथवा कोई ऐतराज किसी प्रकार का या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अपनी अखंडनीय सहमति देना स्वीकार करता है:-

- अ. ए-टॉवर/ए-ब्लॉक के विकास कार्य किये जाने में।
- ब. निर्माण मानचित्रों में संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन अथवा आधुनिकीकरण करने में।
- स. यदि विकासकर्ता तृतीयपक्ष सक्षम अधिकारियों से अतिरिक्त निर्माण अथवा अतिरिक्त मंजिल निर्माण की अनुमति प्राप्त करता है तो इस प्रकार के अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण में।

13. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ऐसा कोई कार्य, गतिविधि अथवा कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि विकासकर्ता को ए-टॉवर/ए-ब्लॉक इमारत के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में अवरोधित हो।

यह कि इस अनुबन्ध के पक्षकार समस्त वैधानिक नियमों, उपनियमों, विनियमों की पूर्णरूपेण पालना करेंगे तथा किसी प्रकार के नियमों, उपनियमों व विनियमों के विचलन, अतिप्रकरण और/या खंडन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष यह तमाम कार्य अथवा अभिलेख निष्पादित करने अथवा करने देने हेतु यह तमाम कार्यवाही/अभिलेख निष्पादित, कार्य आदि करेगा जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस अनुबन्ध पत्र में नहीं किया गया है वह सभी कार्य/कार्यवाही, अभिलेख आदि की अथवा भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकार पत्र की आवश्यकता विकासकर्ता को हो अथवा किसी अतिरिक्त मुख्यारनाम की आवश्यकता विकासकर्ता को हो, इस बात के अधीन कि इस प्रकार किये जाने वाला कार्य, कार्यवाही अथवा अभिलेख, अधिकार पत्र, मुख्यारनामा, भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं करते हो तथा इस लेख पत्र की भावना के विपरीत न जाते हो, करने हेतु सहमत है।

16. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा बी-टॉवर के अतिरिक्त विकसित किये गये भाग क्लब हाउस, कोरिडोर, लिफ्ट, टेरेस, बी-ब्लॉक के बेसमेंट व स्टील्ड पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता, ब्राइव वे, गार्डन एरिया, जोगिंग ट्रैक आदि का विकासकार्य किया जा रहा है, इन सभी सुविधाओं का उपयोग व उपभोग समान रूप से तृतीयपक्ष व ए-टॉवर के युनिटधारी/फ्लेटधारी भी करेंगे, जिसके संबंध में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ

For Preet Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष यह अनिरस्तनीय सहमति विकासकर्ता मैसर्स विवांता कॉरपोरेशन को प्रदान करता है कि ए-टॉवर के समस्त युनिटधारियों को उपरोक्त भाग जैसे क्लब हाउस, कोरिडोर, लिफ्ट, टेरेस, बी-ब्लॉक के बेसमेन्ट व स्टील्ट पल्लो पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता, ड्राइव वे, गार्डन एरिया, जोनिंग ट्रेक आदि को उपयोग व उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त के साथ ही प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष पुष्टि करते हैं कि वे ए-टॉवर के युनिटधारियों से उक्त भागों जैसे क्लब हाउस, कोरिडोर, लिफ्ट, टेरेस, बी-ब्लॉक के बेसमेन्ट व स्टील्ट पल्लो पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता, ड्राइव वे, गार्डन एरिया, जोनिंग ट्रेक आदि के उपयोग व उपभोग में लेने के लिये कोई शर्ति व प्रतिफल की मांग विकासकर्ता या उसके अग्रिम क्रेताओं से नहीं करेंगे।

यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के समस्त कॉमन भाग, सेटबैक एरिया, खुला क्षेत्र, आने-जाने के मार्ग आदि सभी पक्षकारों के लिये कॉमन रहेंगे और कोई भी पक्ष इन्हें बन्द करने व अवरुद्ध करने का अधिकारी नहीं होगा।

भाग-चतुर्थ

कार्य अनुसूची:-

1. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने मिलकर इस अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के साथ ही उक्त परियोजना भूमि (प्रस्तावित ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि) का वास्तविक भौतिक शक्तिपूर्ण कब्जा विकासकर्ता तृतीयपक्ष को संभला दिया है एवं भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उक्त परियोजना भूमि पर प्रवेश करने व सक्षम निकाय से प्राप्त या प्राप्त होने वाले स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार भूमि पर निर्माण व विकास कार्य करने व पूर्ण करने हेतु समस्त अधिकार/प्राधिकार प्रदान कर दिये हैं।
2. यह कि तृतीयपक्ष विकासकर्ता उक्त वर्णित 'परियोजना भूमि' पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण अपने स्वयं के खर्च एवं प्रयासों से करायेगा, इस कार्य हेतु भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष, विकासकर्ता तृतीयपक्ष को अपना पूर्ण लिखित सहयोग प्रदान करने हेतु बाध्य रहेंगे।

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

For Prom Sugar India Projects Pvt. Ltd.

Director



यह कि विकासकर्ता सम्पूर्ण ए-ब्लॉक/ए-टॉवर की इमारत का निर्माण मानचित्रों के अनुसार करेगा तथा निर्माण की किस्म (क्वालिटी), फिनिशिंग, निर्माण सामग्री के उपयोग में एकरूपता रखी जावेगी।

4. यह कि विकासकर्ता उपरोक्त परियोजना भूमि पर निर्मित किये जाने वाले निर्माण कार्य को निर्माण प्रारंभ करने की दिनांक से लगभग 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करावेगा।

5. यह कि निर्माण कार्य व विकास कार्य में होने वाला विलम्ब किसी अपरिहार्य घटना (Force Meajure) जैसे कि दंगे, शांति भंग, जब कानून की स्थिति अनियंत्रित हो, हड़ताल, निर्माण सामग्री उपलब्ध न होना, ट्रान्सपोर्ट हड़ताल, सरकारी प्रतिबन्ध, सिविल अशांति के कारणों, ईश्वरीय घटना (Act of God) अथवा अन्य किसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा भू-स्वामी प्रथमपक्ष के स्वामित्व की त्रुटि के कारण या किसी पहौसी से विवाद हो जाने के कारण स्वयं आदेश/निषेधाज्ञा/अवरोध आदेश किसी न्यायालय, अभिकरण अथवा अधिकारी द्वारा जारी किये जाने के कारण या अन्य किसी ऐसे कारण से जो कि विकासकर्ता के नियंत्रण के बाहर हो आदि किसी एक या अधिक कारणों से निर्माण में विलम्ब होने पर विकासकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी तथा उपरोक्त वर्णित कारणों के स्पष्ट होने में लगने वाला समय की नियत अवधि में गणना नहीं की जावेगी।

6. यह कि यह भी एतद्वारा तय किया जाता है कि निर्माण व विकास की सम्पूर्ण लागत आकस्मिक अन्य व्ययों सहित विकासकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा तथा इससे संबंधित समस्त प्रयास विकासकर्ता द्वारा किये जावेगे।

7. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा विकासकर्ता ए-ब्लॉक/बी-टॉवर ने एक साइट ऑफिस उपलब्ध कराया जावेगा जहाँ विकासकर्ता तृतीयपक्ष के कर्मचारी, स्टॉफ बैठेंगे और ए-ब्लॉक के फ्लेट्स की बुकिंग व ग्राहकों से संव्यवहार करेंगे उपरोक्त के साथ ही विकासकर्ता को इस उपलब्ध कराये गये स्थान पर अपना साइट आफिस खोलने, साईन बोर्ड, होर्डिंग्स, डिस्पले बोर्ड आदि साइट पर अथवा अन्य स्थानों पर लगाने, हेतु अनुमति दी गई है। उक्त उपलब्ध कराये गये स्थान के बदले प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष किसी प्रकार की कोई राशि विकासकर्ता से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

8. यह कि पक्षकारों ने तय हुआ है कि सर्वप्रथम विकासकर्ता तृतीयपक्ष ए-ब्लॉक/ए-टॉवर में अपने हिस्से में आयी कुल युनिटों/फ्लेट्स में से 40



Far Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION  
Proprietor

युनिट/प्लेट्स अग्रिम क्रेताओं को विक्रय करेगा तथा जिसके उपरांत ही प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अपने अपने हिस्से के भाग को विक्रय करने के अधिकार होंगे।

यह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा उक्त वर्णित "परियोजना भूमि" पर बनने वाली बहुमजिला इमारत का स्थानीय निकाय/प्रचलित नियमों अनुसार अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार इमारत बनाने हेतु इंजीनियर/ओवरसीयर/कॉन्ट्रैक्टर/कर्मचारी/मजदूर/मिस्त्री /आर्किटेक्ट/सुपरवाइजर इत्यादि की नियुक्ति करेगा एवं बिल्डिंग का निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार करायेगा, साथ ही विकासकर्ता तृतीयपक्ष को "परियोजना भूमि" पर बनने वाली बहुमजिला इमारत के संबंध में अपनी इच्छानुसार किसी भी स्टाफ/कर्मचारी/मजदूर/आर्किटेक्ट या सुपरवाइजर/इंजीनियर को रखने, कंट्रोल करने, भुगतान करने अथवा हटाने के पूर्ण अधिकार होंगे। इन सब कार्यों में सम्पूर्ण खर्च विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा वहन किया जावेगा, जिसमें किसी प्रकार की बाधा, अवरोध, आपत्ति, हस्तक्षेप करने का अधिकार भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को नहीं होगा।

भाग-पंचम

यह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा भू-स्वामी प्रथमपक्ष की अचल सम्पत्ति "परियोजना भूमि" पर किये जाने वाले निर्माण, निर्माण में विनियोजित किये धन एवं समग्र की एवज में उपरोक्त परियोजना भूमि पर निर्मित तामीरात में से आवासीय भाग 146289 वर्गफीट व व्यावसायिक भाग में 7179 वर्गफीट (कुल 88 प्रतिशत भाग) पर विकासकर्ता तृतीयपक्ष का एकमात्र मालिकाना अधिकार होगा जिसे प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेने, लाभ अर्जित करने, विक्रय, दान, आदि के द्वारा किसी को भी हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार विकासकर्ता तृतीयपक्ष को प्राप्त रहेंगे। एवं इसी प्रकार "परियोजना भूमि" पर निर्मित तामीरात व इमारत में से आवासीय भाग 69054 वर्गफीट व व्यावसायिक भाग में 4785 वर्गफीट (कुल 32 प्रतिशत भाग) पर भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष का संयुक्त मालिकाना अधिकार होगा, जिसे प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेने, लाभ अर्जित करने, विक्रय, दान, आदि के द्वारा किसी को भी हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को प्राप्त रहेंगे।

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

For Pram Sugar India Projects Pvt. Ltd.

Director

2- यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं तृतीयपक्ष ने उपरोक्त प्रस्तावित इमारत (ए-ब्लॉक/ए-टॉवर) में निर्मित होने वाली इकाइयों को चयन/चिन्हिकरण अपने अपने अनुपात अनुसार कर लिया है। पक्षकारान् में हुये चिन्हिकरण के परिणामस्वरूप परिशिष्ट 1 में दर्शायी गई संपत्ति/प्लेट/युनिट आदि विकासकर्ता के हिस्से में रहेंगे, परिशिष्ट -2 में दर्शायी गई संपत्ति/प्लेट/युनिट आदि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष संयुक्त हिस्से में रहेंगे। पक्षकारान् में यह भी तय हुआ है कि तीनों पक्ष अपने अपने हिस्से की युनिटों/प्लेट आदि को स्वयं आवंटन, विक्रय आदि करेंगे और विक्रय प्रतिफल राशि भी स्वयं के स्तर पर खुद प्राप्त करेंगे, किसी भी अन्य पक्षकार की इन कार्यवाहियों में पूर्व सहमति व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3- यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व तृतीयपक्ष के मध्य तय हुआ है कि उपरोक्त परियोजना भूमि पर बनने वाली युनिटों/प्लेट/अपार्टमेंट आदि का विक्रय, आवंटन, बुकिंग, कतर, पुष्टि, निरस्तीकरण, नोटिस, सूचना आदि संबंधित पक्षकार द्वारा किया अर्थात् जिस पक्षकार के हिस्से में जो युनिट आयी हैं वह ही उस प्लेट के संबंध में समस्त प्रकार की कार्यवाही करेगा, जिसमें अन्य किसी पक्षकार का किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षकारान् में यह भी तय हुआ है कि कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार के हिस्से की युनिट/प्लेट आदि का विक्रय, आवंटन आदि नहीं करेगा।

4- यह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हिस्से/चयन में आयी युनिटों/प्लेटों को विक्रय करने, आवंटन करने, निरस्त करने, संशोधन करने व प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु एक मुख्यालय आग निष्पादित किया है, जिसे निरस्त कराने का अधिकार प्रथमपक्ष को इस डवलपमेंट एग्रीमेंट के प्रभावी रहने के दौरान नहीं होगा।

5- यह कि पक्षकारों में तय हुआ है कि उपरोक्त ए-ब्लॉक/ए-टॉवर में निर्मित प्रत्येक प्लेट के साथ एक कार पार्किंग रिजर्व रहेगी। उपरोक्त तय पार्किंग स्लॉट के अलावा ए-ब्लॉक/ए-टॉवर में करीब 76 पार्किंग अतिरिक्त ज्यादा है जिसमें से 6 पार्किंग स्लॉट प्रथमपक्ष के पास व 70 पार्किंग स्लॉट/भाग विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हक व हिस्से में रहेंगे।

6- यह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष को कुल 35,00,000/- अक्षरे पैंतीस लाख रुपये का मुगतान बतौर रिफण्डेबल सिक्योरिटी राशि के करना तय हुआ है, जिसे प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष निर्माण पूर्ण होने व निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में वापस तृतीयपक्ष को लौटाने के लिये बाध्य रहेंगे।

For Prem Sugar India Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

- 7- यह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष को किये गये भुगतान 35,00,000/- अक्षरे पैंतीस लाख रुपये का विवरण इस प्रकार है:-

चैक संख्या	दिनांक	बैंक व शाखा	राशि प्राप्तकर्ता	राशि
000154	11.05.2023	एचडीएफसी बैंक	सीताराम टोन्सवत	17,50,000/-
000152	11.05.2023	एचडीएफसी बैंक	गैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17,50,000/-
अक्षरे - पैंतीस लाख रुपये मात्र				35,00,000/-

मान-पट्टन



1. यह कि उक्त परियोजना भूमि के संबंध में समस्त प्रकार के विधिक प्राधिकारों व अधिधिक प्राधिकारों अथवा अधिकारों के अंतर्गत बकाया कर अथवा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के दिन तक के समस्त बकाया करों, लीज मनी, हाउस टेक्स, यूटीएच कर, मूवांक शुल्क, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क आदि का भुगतान भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष करेंगे।

यह कि उक्त परियोजना भूमि पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से पूर्व के बकाया समस्त प्रकार के करों का भुगतान भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा किया जायेगा और यदि विकासकर्ता को ऐसे किसी बकाया कर आदि की राशि का भुगतान करना पड़े तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि की क्षतिपूर्ति विकासकर्ता को करने का दायित्व भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष का होगा।

3. यह कि आज इस विलेख की निष्पदन की दिनांक से इमारत निर्माण पूर्ण होने तक ए ब्लॉक/ए टॉवर के समस्त करों का भुगतान तीनों पक्ष अपने अपने आनुपातिक हिस्से अनुसार करेंगे और निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् फ्लेट्स के स्वामी अपने अपने फ्लेट्स के हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से अदा करेंगे।

VIVANTA CORPORATION

*(Signature)*

For Preet Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.



Director

*(Signature)*

Proprietor



4. यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा ए-ब्लॉक/ए-टॉवर का निर्माण के संबंध में कोई जुर्माना लगाया जाता है तो ऐसी राशि अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी तृतीयपक्ष की होगी।

भाष-सप्तम

शर्तियाँ:-

1. यह कि विकासकर्ता ने यह अनुबंध निष्पादित करना, भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के इस आश्वासन एवं विश्वास दिलाने पर स्वीकार किया है कि उक्त परियोजना भूमि पर भू-स्वामी प्रथमपक्ष का संपूर्ण स्वच्छ व भार रहित स्वामित्व है। उपरोक्त ए-ब्लॉक/ए-टॉवर पर निर्माण का क्षेत्रफल करीब 280000 वर्गफीट होगा जिसमें से विक्रय योग्य भाग 228000 वर्गफीट होगा। यदि भविष्य में कभी भी किसी समय इस अनुबंध पत्र के निष्पादन के पश्चात्, प्रस्तावित इमारत के निर्माण के दौरान अथवा बाद में उक्त परियोजना भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निपटाने व सुलटाने की संपूर्ण जिम्मेदारी भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष की स्वयं के खर्च व पैरवी सहित होगी।
2. यह कि यदि किसी भी पक्षकार द्वारा इस अनुबंध व परस्पर तयशुदा किसी भी एक अथवा अधिक शर्त/शर्तों/शरायतों को भंग किया जाता है तो उस पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस प्रकार के शर्त भंग से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व होगा।
3. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अथवा उसके किसी एजेंट, कर्मचारी या भू-स्वामी प्रथमपक्ष की ओर से अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कार्य द्वारा विकासकर्ता को निर्माण कार्य करने अथवा निर्माण कार्य के दौरान अवरोधित किया जाता है, तो विकासकर्ता को भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष से उसको होने वाली हानि, नुकसान व उसके द्वारा उस दिनांक तक इमारत के निर्माण में व्यय की गई संपूर्ण राशि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष से क्लेम करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
4. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष उपरोक्त "परियोजना भूमि" को आज दिन तक किसी को भी रहन, बंधन, विक्रय, दान, वसीयत, त्याग आदि के द्वारा हस्तान्तरित नहीं किया है। उक्त वर्णित अवल सम्पत्ति "परियोजना भूमि" प्रत्येक प्रकार से भार एवं बन्धन, कर्जा-कुर्की, जमानत, सीलिंग, वाद-विवाद, झगडा-टण्टा, आवाप्ति आदि से पूर्णतया मुक्त, पाक एवं साफ है। भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने उक्त "परियोजना भूमि" के सम्बन्ध में किसी को भी



For Prom Sugar India Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director



अपना मुख्यालय या मुख्यालय निर्माण नहीं कर रहा है, एवं ना ही कोई सिखापडी इस आशय की कर रही है, जिससे विकासकर्ता तृतीयपक्ष के प्रोजेक्ट व उसको निर्माण के बदले प्राप्त होने वाले हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। उपरोक्त वर्णित भूमि नदी नालो, तालाबो या जल भराव हेतु आरक्षित भूमियो या उनसे प्रभावित भूमियो मे से नहीं हैं। उपरोक्त भूमि मंदिर माफी भूमि या अवाप्ताधीन/अवाप्तशुदा भूमियो मे से नहीं हैं। उपरोक्त भूमि के संबंध मे किसी भी न्यायालय, अधिकरण, मंडल, राजस्व न्यायालय आदि मे कोई प्रकरण विद्याराधीन नहीं हैं। उक्त वर्णित अचल सम्पत्ति "परियोजना भूमि" को प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपयोग मे लेने, लाभ अर्जित करने, रहन करने, विक्रय करने, त्याग करने, विकास अनुबन्ध/डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित करने एवं प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने के समस्त स्वाधिकार मालिकाना बहसियत भू-स्वामी प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

#### भाग-अष्टम

##### मध्यस्थता:-

यह कि इस इकरारनामे मे तहत भू-स्वामी प्रथम पक्ष, द्वितीयपक्ष व विकासकर्ता तृतीयपक्ष के मध्य निर्माण प्रक्रिया के दौरान से निर्माण पूर्ण होने पर निर्माण पूर्ण होने की प्रक्रिया तक कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे इण्डियन आर्बिट्रेशन एण्ड कौंसिलेशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के तहत निपटाया जायेगा। उक्त अभिनियम के तहत एक सोल आर्बिट्रेटर की नियुक्ति सभी पक्षकारों के द्वारा की जायेगी एवं ऐसा विवाद उक्त मध्यस्थ को रैफर किया जायेगा। सोल आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। किसी भी पक्ष को इस इकरारनामे के तहत उठे किसी विवाद के लिये किसी भी सक्षम न्यायालय में जाने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि आर्बिट्रेटर किसी उचित कारण से अवाई देने में असक्षम नहीं हो।

#### भाग-नवम्

##### न्यायक्षेत्र:-

समस्त प्रकार के बाद विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर (राज.) होगा।

#### भाग-दशम्

##### विविध:-



For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.  
Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

उप पंजीयक  
जयपुर दसम्



1- यह कि इस डवलपर्स एग्रीमेंट को मूल रूप से तीन मूल प्रतियों में तैयार किया गया है तीनो पक्षों के पास एक मूल प्रति रहेगी एवं तीनों प्रतियों की महत्वता एक समान रहेगी।

2- यह कि डवलपर्स एग्रीमेंट को पंजीबद्ध कराने का खर्चा तीनों पक्ष अपने अपने हिस्से अनुसार वहन करेंगे।

3- यह कि उक्त "परियोजना भूमि" की भूमि पर बनने वाली बहुमंजिला इमारत की कॉमन सुविधाएँ समस्त युनिट होल्डर्स की सामूहिक रहेगी। कॉमन सुविधाओं के रखरखाव के लिये मेन्टीनेन्स सोसायटी का गठन किया जावेगा जिसके द्वारा बनाये जाने वाले सभी नियमों व उप नियमों का सभी यूनिट होल्डर्स पालन करेंगे एवं साथ ही अपने-अपने आनुपातिक हिस्से अनुसार मेन्टीनेन्स राशि मेन्टीनेन्स सोसायटी को अदा करेंगे। परन्तु जब तक मेन्टीनेन्स सोसायटी का गठन नहीं होता है तब तक मेन्टीनेन्स सोसायटी के कार्य यथा मेन्टीनेन्स राशि प्राप्त करना, रख रखाव करना, कर निर्धारण करना, कर को एकत्र कराने, खर्च करने आदि कार्य विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा किये जायेंगे।

4- यह कि पक्षकारों में तय हुआ है कि तृतीयपक्ष के द्वारा ए-टॉवर के अतिरिक्त बी-टॉवर का भी मेन्टीनेन्स संबंधी समस्त कार्य किया जायेगा तथा ऐसे में बी-टॉवर के संबंध में मेन्टीनेन्स राशि प्राप्त करना, रख रखाव करना, कर निर्धारण करना, कर को एकत्र कराने, खर्च करने आदि कार्य व निर्णय विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा किये जायेंगे।

यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व विकासकर्ता तृतीयपक्ष के मध्य समस्त सूचना, पत्राचार, नोटिस आदि पक्षकारों के उपरोक्त रजिस्टर्ड डाक द्वारा पक्षों के पते पर प्रेषित की जायेगी एवं किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार उक्त पते पर भेजी गई सूचना, नोटिस, पत्राचार आदि पक्षकारों को प्राप्त हुई मानी जायेगी।

6- यह कि यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व या निर्माण के दौरान किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से एन.ओ.सी./अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष की होगी, तृतीयपक्ष का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

7- यह इस डवलपर्स एग्रीमेंट के निष्पादन की दिनांक से विकासकर्ता तृतीयपक्ष को अधिकार है कि वह उपरोक्त प्रोजेक्ट का Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) के यहाँ पंजीयन कराये, पंजीयन हेतु देय राशियाँ जमा कराये, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति भू-स्वामी प्रथमपक्ष व

For Prem Sugar India Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director



द्वितीयपक्ष को नहीं हैं। उपरोक्त के साथ ही तीनों पक्षों में तय हुआ है कि रेश पंजीयन कराने हेतु किसी अतिरिक्त दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र आदि की आवश्यकता होगी तो भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष उन्हें हस्ताक्षरित करके विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उपलब्ध करावेंगे तथा किसी कारणवश रेश पंजीयन के लिये इस दस्तावेज में वर्णित किसी शर्त के संशोधन कराने की आवश्यकता होगी तो तीनों पक्ष तत्काल प्रभाव से संशोधन पत्र निश्चादित कराकर उसका पंजीयन करावेंगे। यह दस्तावेज रेश (RERA) हेतु वैध व प्रामाणी है।

अतः इस डवलपर्स एग्रीमेन्ट पर भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं विकासकर्ता तृतीयपक्ष ने अपनी राजीखुशी, होश हवास, स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव व बहकावे के समक्ष दो गवाहन के पक्ष, सुन व समझकर 12 ग्रीन पेपरों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो कि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 12-माह नई सन 2023 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (भू-स्वामी)

*(Signature)*  
(सीताराम टोडावत)



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष  
मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड  
For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

*(Signature)*  
जरिये कम्पनी के निदेशक  
(मनोज गर्ग) Director

हस्ताक्षर तृतीयपक्ष  
मैसर्स विवेक कौरपोरेशन  
Proprietor  
जरिये फर्म के प्रोपराइटर  
(विवेक कौरदिया)

*(Signature)*

उप पंजीयक  
जयपुर दसम

हस्ताक्षर गवाहन 1:-

*(Signature)* Chetan  
S16 Paris Point Banipark Jaipur

हस्ताक्षर गवाहन 2:-

Ankit Jain  
H.No. 58/2 Plot No. 203 Kamla Nehru Nagar  
Meerapura Jaipur



जयपुर (रि)

पंजीयन वि

## परिशिष्ट-1

विकासकर्ता के हिस्से में आयी युनिट/फ्लेक्स आदि का विवरण

101	3 BHK	1822.5
102	3 BHK	1822.1
106	4 BHK	2352.6
203	3 BHK	1822.5
205	4 BHK	2508.5
301	3 BHK	1822.5
303	3 BHK	1822.5
304	Duplex	3270.7
306	4 BHK	2352.6
401	3 BHK	1822.5
402	3 BHK	1822.1
406	4 BHK	2352.6
502	3 BHK	1822.1
503	3 BHK	1822.5
504	Duplex	3270.7
505	4 BHK	2508.5
506	4 BHK	2352.6
601	3 BHK	1822.5
605	4 BHK	2508.5
606	4 BHK	2352.6
703	3 BHK	1822.5
704	Duplex	3270.7
705	4 BHK	2508.5
801	3 BHK	1822.5
802	3 BHK	1822.1
805	4 BHK	2508.5
806	4 BHK	2352.6
901	3 BHK	1822.5
902	3 BHK	1822.1
903	3 BHK	1822.5
906	4 BHK	2352.6
1001	3 BHK	1822.5
1003	3 BHK	1822.5
1005	4 BHK	2508.5
1101	3 BHK	1822.5
1102	3 BHK	1822.1
1104	Duplex	3270.7
1105	4 BHK	2508.5
1106	4 BHK	2352.6
1201	3 BHK	1822.5
1203	3 BHK	1822.5
1205	4 BHK	2508.5



उप पंजीयक  
जयपुर दसन

VIVANTA CORPORATION  
Proprietor

For Prim Sagax India Projects Pvt. Ltd.

Director

1206	4 BHK	2352.6
1301	3 BHK	1822.5
1302	3 BHK	1822.1
1304	Duplex	3270.7
1305	4 BHK	2508.5
1306	4 BHK	2352.6
1401	3 BHK	1822.5
1402	3 BHK	1822.1
1403	3 BHK	1822.5
1406	4 BHK	2352.6
1501	3 BHK	1822.5
1504	Duplex	3270.7
1505	4 BHK	2508.5
1506	4 BHK	2352.6
1601	3 BHK	1822.5
1602	3 BHK	1822.1
1605	4 BHK	2508.5
1606	4 BHK	2352.6
1701	3 BHK	1822.5
1702	3 BHK	1822.1
1703	3 BHK	1822.5
1706	4 BHK	2352.6
1801	3 BHK	1822.5
1802	3 BHK	1822.1
1806	4 BHK	2352.6



## परिशिष्ट-2

प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के संयुक्त हिस्से में आयी युनिट/फ्लेट्स आदि का विवरण

103	3 BHK	1822.5
104	Duplex	3270.7
105	4 BHK	2508.5
201	3 BHK	1822.5
202	3 BHK	1822.1
206	4 BHK	2352.6
302	3 BHK	1822.1
305	4 BHK	2508.5
403	3 BHK	1822.5
405	4 BHK	2508.5
501	3 BHK	1822.5
602	3 BHK	1822.1
603	3 BHK	1822.5
701	3 BHK	1822.5
702	3 BHK	1822.1

उप पंजीयक  
जयपुर दसम्

For Prom Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION  
Proprietor

Director

705	4 BHK	2352.6
803	3 BHK	1822.5
904	Duplex	3270.7
905	4 BHK	2508.5
1002	3 BHK	1822.1
1006	4 BHK	2352.6
1103	3 BHK	1822.5
1202	3 BHK	1822.1
1303	3 BHK	1822.5
1405	4 BHK	2508.5
1502	3 BHK	1822.1
1503	3 BHK	1822.5
1603	3 BHK	1822.5
1704	Duplex	3270.7
1705	4 BHK	2508.5
1803	3 BHK	1822.5
1805	4 BHK	2508.5



VIVANT CORPORATION  
Proprietor

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक  
जयपुर दसम

Government of Rajasthan  
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt  
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date: 12-05-2023 1:37 PM

Fee Receipt No	: 202302190010254	Receipt Date	: 12/05/2023
Name	: VIVEK CHORDIA	Document S. No.	: 202301190007660
Address	: 29, JIANPATHI JAIPUR, JAIPUR		
Document Type	: Power of Attorney		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 10000	Fee for Memorandum	: ₹ 0
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 500
Surcharge	: ₹ 150	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 10950
		Total Amount	: ₹ 10950

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

# e-Gras Challan 75564626 ₹ 10300 # e-Gras Challan 75565237 ₹ 050

Signature of presenter or applicant for  
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient  
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

# e-Challan

Registration and Stamps department  
Government of Rajasthan

GRN: 0075564525



Payment Date: 12/05/2023 12:19:56

Office Name: Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur  
Location: JAIPUR (CITY)  
Period: 01/04/2023-To-31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रतियां	300.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	10000.00
Commission(-):		0.00
Total/NetAmount:		10300.00

Ten Thousand Three Hundred Rupees and Zero Paise Only

## Payee Details:

Full Name: VIVANTA CORPORATION	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(302001)
Address: GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR	Remarks: SITARAM TODAWAT AND PREMSAGAR INFRAPROJECTS PVT LTD VS VIVANTA CORPORATION TYPE OF DOCUMENT. POWER OF ATTORNEY

## Payment Details:

Bank: State Bank Of India	Challan No. - 0
Date: 12/05/2023 12:19:56	Bank CIN No: SBIN7556452512052023
	Reference No: IK0CFYKUJ0

Computer generated copy on : 12/05/2023

Courty : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor



## ॥ मुख्यारनामा-आम ॥

यह मुख्यारनामा-आम का दस्तावेज आज दिनांक 11 माह मई सन् 2023 ईस्वी की जयपुर शहर में (1) सीताराम टोडावत, आयु 56 वर्ष, पुत्र श्री हरिकृष्ण टोडावत (पत्नी) श्री ज्योति निवासी ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) आधार नम्बर 5157-7684-4814, PAN : AEVPC1046F (2) मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (PAN : AAHCP4742N), जो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत गठित एक पंजीकृत कम्पनी हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-1, रिधि रेजिडेंसी, प्लॉट नम्बर 11, सैकिण्ड पल्लोर, मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड, जयपुर 302001 तथा कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45201RJ2013PTC044444, जरिये कम्पनी के बोर्ड रिजोल्यूशन दिनांक 11/05/23 के द्वारा अधिकृत कम्पनी के निदेशक श्री मनोज गर्ग, आयु 53 वर्ष, पुत्र श्री राधा कृष्ण गर्ग, निवासी 15-ए, आयुवान नगर, महारानी फार्म, जयपुर 302018, आधार नम्बर 3314-6960-6971 -मुख्यारकर्ता, जिसे इस मुख्यारनामा-आम के दस्तावेज में आगे चलकर शब्द "प्रथमपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द "प्रथमपक्ष" में श्री सीताराम टोडावत स्वयं एवं उनके समस्त उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे, इसी प्रकार मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कम्पनी के समस्त निदेशकगण, शेयर होल्डर्स, असाइनीज, प्रतिनिधि, हस्ताक्षरकर्ता, एजेन्ट, सर्वन्ट आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे, जब तक कि इस लेख पत्र के संदर्भ में कोई विपरीत अभिप्राय न हो) की ओर से मैसर्स विवांता कॉर्पोरेशन, कार्यालय 29, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर (राज.) जरिये प्रोपराइटर श्री विवेक चौरडिया, आयु 41 वर्ष, पुत्र श्री विनय चौरडिया, निवासी 61, संग्राम कॉलोनी, सी-स्क्रीन, जयपुर (राज.) आधार नम्बर 8318-7239-8957, PAN : AEHPC7869N -मुख्यारसहिता- (जो कि बिकासकर्ता है), जिसे इस मुख्यारनामा-आम के दस्तावेज में आगे चलकर शब्द "द्वितीयपक्ष" से सम्बोधित किया गया है। (जिस शब्द "द्वितीयपक्ष" में मैसर्स विवांता कॉर्पोरेशन के प्रोपराइटर स्वयं एवं उनके समस्त उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे, जब तक कि इस लेख पत्र के संदर्भ में कोई विपरीत अभिप्राय न हो) के हक में निम्न प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है।

जो कि बाके ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड अन्तर्गत खसरा नम्बर 88 स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज है। उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की चारो सीमाओ में पूर्व की ओर सेक्टर रोड 48.00 मीटर चौड़ी सरकारी वास्ते आमद रफ्त, पश्चिम की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर सड़क 18.00 मीटर चौड़ी सरकारी वास्ते आमद रफ्त एवं दक्षिण की ओर अन्य भूमि, स्थित है।

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION  
Proprietor



(...2...)

जो कि उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर संबंध में चाही गई समस्त राशियाँ प्रथमपक्ष में से श्री सीताराम टोडावत के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराने के उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध में पट्टा विलेख क्रमांक 148 दिनांक 25.12.2013 को प्रथमपक्ष में से श्री सीताराम टोडावत के नाम से निष्पादित किया गया, जिसकी पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251, पृष्ठ संख्या 107, क्रम संख्या 2014399000167 पर दिनांक 13.01.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003, पृष्ठ संख्या 83 से 92 तक पर चस्पा की गई।

कालांतर में प्रथमपक्ष में से श्री सीताराम टोडावत एवं प्रथमपक्ष में से मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने के संबंध में एक डवलपमेंट एग्रीमेंट का दस्तावेज दिनांक 14.02.2014 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक पंचम, जयपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 751, पृष्ठ संख्या 100, क्रम संख्या 2014397002443 पर दिनांक 24.02.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3002, पृष्ठ संख्या 514 से 525 तक पर चस्पा की गई। उक्त डवलपमेंट एग्रीमेंट में व्याप्त मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्षेत्र व विषयवस्तु संपत्ति को सीमित करते हुये मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यक्षेत्र व क्षेत्राधिकार बी-टॉवर के निर्माण तक सीमित किया गया तथा इस संबंध में सप्लीमेंट्री डीड का निष्पादन पक्षकरण के मध्य में किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक 6214 के यहाँ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 332, पृष्ठ संख्या 64, क्रम संख्या 202303190107777 पर दिनांक 30/5/13 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1324, पृष्ठ संख्या 214 से 225 तक पर चस्पा की गई।

यह कि उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करने के संबंध में निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आवेदन किया गया और इस संबंध में आवश्यक समस्त शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराये गये, जिसके उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर इमारत का निर्माण करने हेतु भवन मानचित्र 28.90 मीटर ऊँचाई की जरिये पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा/स.स./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2016/डी-1525 दिनांक 01.07.2016 के अनुमोदित किये गये। तत्पश्चात् मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा 41.40 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जरिये पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा/अति.भू.नि.

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/शुद्धी SITARAM TODAWAT, पुत्र/पुत्री/पति श्री HARIKISHAN TODAWAT CHOUDHARY, अवस्था Otherजति 0-HINDU House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area: SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 56 Signature :
2	श्री/श्रीमती/शुद्धी MANOJ GARG DIRECTOR PREMSAGAR INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED, पुत्र/पुत्री/पति श्री RADHA KRISHAN GARG, अवस्था Otherजति 0-HINDU House No.:00, Colony: S-1 RISHI RESIDENCY PLOT NO. 11 SECOND FLOOR MISHON COMPOUND, Area: AJMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 53 Signature :
3	श्री/श्रीमती/शुद्धी VIVEK CHORDIA PROPRIETOR VIVANTA CORPORATION, पुत्र/पुत्री/पति श्री VINAY CHORDIA, अवस्था Otherजति 0-HINDU House No.:29, Colony: JANPATH, Area: SHYAM NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 41 Signature :

ने लेवपण When given to promoter or developer by whatever name called for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, (with Sale power) को यह सुन व समझकर विधायन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल शर्त रु 0/- पूर्व में। मेरे समक्ष / मैं से रु 0/- पूर्व में ----- वे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना स्वीकार किया।

उक्त विधायन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निम्न मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	मवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/शुद्धी CHETAN, पुत्र/पुत्री/पति श्री DEVENDRA जति HINDU Age: 24 Add: House No.:516, Colony: PARIS POINT, Area: BANI PARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature :
2	Name: श्री/श्रीमती/शुद्धी ANKIT JAIN, पुत्र/पुत्री/पति श्री KAILASH CHAND JAIN जति HINDU Age: 33 Add: House No.:58/2, Colony: FLAT NO. 203, FIRST FLOOR NALSHTRA EMPIRE KAMILA NEHRU NAGAR, Area: HEERAPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature :

202301190007660

जयपुर दस्तावेज  
जयपुर दस्तावेज  
जयपुर दस्तावेज



(...3...)

बी.पी.सी.(बी.पी.)/2020/डी-667 दिनांक 10.08.2020 के अनुमोदित किये गये संपन्न  
वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग मुख्यप्लॉट नम्बर 58  
मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जरिये संशोधित भवन मानचित्र मुख्यप्लॉट नम्बर 58/एन.  
नि./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2022/डी-1719 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अनुमोदित कर जारी  
किये हुये हैं।

जो कि प्रथमपक्ष के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग मुख्यप्लॉट खसरा नम्बर 88, ग्राम  
सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि पर ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि  
क्षेत्रफल लगभग 4640.00 वर्गगज पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त भवन  
निर्माण अनुमति के क्रम में विकासकार्य करने के संबंध में डवलपमेंट एग्रीमेन्ट विकासकर्ता  
के साथ निष्पादित किया गया है। प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य निष्पादित  
डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की शर्तों के क्रम में द्वितीयपक्ष के हिस्से/अलोकेशन में  
आयी युनिटों/प्लेटों, पार्किंग के संबंध में यह मुख्यारनामा आम निष्पादित  
किया गया है। डवलपमेंट एग्रीमेन्ट अनुसार द्वितीयपक्ष के अलोकेशन/हिस्से में  
आयी युनिटों/प्लेटों, पार्किंग का विवरण निम्न प्रकार है:-

Flat No.	Type of Flat	Area of Flat (in Sq. Feet)
101	3 BHK	1822.5
102	3 BHK	1822.1
106	4 BHK	2352.6
203	3 BHK	1822.5
205	4 BHK	2508.5
301	3 BHK	1822.5
303	3 BHK	1822.5
304	Duplex	3270.7
306	4 BHK	2352.6
401	3 BHK	1822.5
402	3 BHK	1822.1
406	4 BHK	2352.6
502	3 BHK	1822.1
503	3 BHK	1822.5
504	Duplex	3270.7
505	4 BHK	2508.5
506	4 BHK	2352.6
601	3 BHK	1822.5
605	4 BHK	2508.5
606	4 BHK	2352.6
703	3 BHK	1822.5
704	Duplex	3270.7
705	4 BHK	2508.5
801	3 BHK	1822.5

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVAMTA CORPORATION

Proprietor

Presentation Endorsement

आज दिनांक 12 मां 05 सन् 2023 को 01:29 PM बजे  
श्री/श्रीमती/सुखी SITARAM TODAWAT पुत्र/पुत्री/पति श्री HARIKISHAN  
TODAWAT CHOUDHARY

उम्र 56 वर्ष, जाति O-HINDU, व्यवसाय Other

निवासी House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area:  
SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR,  
State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्पूर्ण इस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
202301190007660

हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
JAIPUR

When given to promoter or developer by whatever name called for construction or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property (with Sale power)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302190010254
दिनांक	12-05-2023
पंजीयन शुल्क ₹	10000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	150
कुल योग	10950

202301190007660

When given to promoter or developer by whatever name called for construction or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, (with Sale power)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75564525 ₹ 10300 # e-

Gras Challan 75565237 ₹ 650

Endorsement of Execution

(...4...)

802	3 BHK	1822.1
805	4 BHK	2508.5
806	4 BHK	2352.6
901	3 BHK	1822.5
902	3 BHK	1822.1
903	3 BHK	1822.5
906	4 BHK	2352.6
1001	3 BHK	1822.5
1003	3 BHK	1822.5
1005	4 BHK	2508.5
1101	3 BHK	1822.5
1102	3 BHK	1822.1
1104	Duplex	3270.7
1105	4 BHK	2508.5
1106	4 BHK	2352.6
1201	3 BHK	1822.5
1203	3 BHK	1822.5
1205	4 BHK	2508.5
1206	4 BHK	2352.6
1301	3 BHK	1822.5
1302	3 BHK	1822.1
1304	Duplex	3270.7
1305	4 BHK	2508.5
1306	4 BHK	2352.6
1401	3 BHK	1822.5
1402	3 BHK	1822.1
1403	3 BHK	1822.5
1406	4 BHK	2352.6
1501	3 BHK	1822.5
1504	Duplex	3270.7
1505	4 BHK	2508.5
1506	4 BHK	2352.6
1601	3 BHK	1822.5
1602	3 BHK	1822.1
1605	4 BHK	2508.5
1606	4 BHK	2352.6
1701	3 BHK	1822.5
1702	3 BHK	1822.1
1703	3 BHK	1822.5
1706	4 BHK	2352.6
1801	3 BHK	1822.5
1802	3 BHK	1822.1
1806	4 BHK	2352.6

Adrian

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION  
Proprietor



Registration Endorsement

आज दिनांक 30/05/2023 को  
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 9 में  
पृष्ठ संख्या 112 क्रम संख्या 202303190400223 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 18 के  
पृष्ठ संख्या 146 से 225 पर अस्था किया गया।

202301190007680

When given to promoter or developer by whatever name called for construction, or development  
of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, (with Sale power)

पंजीबद्ध  
JALPUR-X  
पंजीबद्ध

(...5...)

प्रथमपक्ष अपने कार्यो मे व्यस्त रहते है इसलिये प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष विकासकर्ता के अलोकेशन मे आये पहचान तथा निशान किये हुये भाग (जिसका विवरण उपर सारणी मे लिखा हुआ है एवं जिसको संलग्न नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है) के संबंध मे विकासकर्ता द्वितीयपक्ष या उसके अग्रिम क्रेताओ के हित मे विक्रय इकरार करने, विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने, विक्रय पत्र को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करने व द्वितीयपक्ष के अनुपात व हिस्से की उपरोक्त सम्पत्ति के हित मे समस्त लिखित एवं मौखिक कार्यवाही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करने मे असमर्थ है इसलिये प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को अपना मुख्यास्त्रान नियुक्त कर अधिकार देते है कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक पर द्वितीयपक्ष के द्वारा कराये गये निर्माण, विनियोजित धन, समय, लागत, अनुभव, तर्जुबे की एवज मे उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक मे निर्मित निर्माण के पहचान तथा निशान किया हुआ भाग (जिसका विवरण उपर सारणी मे लिखा हुआ है एवं जिसको संलग्न नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है) को किसी को भी किसी भी कीमत में रहन, विक्रय, वसीयत, दान अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करे, विक्रय की दर निर्धारित करे, विक्रय हेतु एग्रीमेन्ट फॉर सैल (फार्म-जी) निष्पादित करे, फ्लेट/युनिट का आवंटन करे, आवंटन निरस्त करे, निरस्तीकरण विलेख/संशोधन विलेख/विनियम विलेख आदि निष्पादित करे, एखवान्त राशि प्राप्त करे, रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से निष्पादित करे, विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त करे, प्रतिफल राशि जरिये नकद या बैंक या डी.डी. से प्राप्त करे, बैंक/डी.डी. को स्वयं के नाम से प्राप्त करे, विक्रय पत्र तैयार कराकर प्रथमपक्ष की ओर से हस्ताक्षर करे, सम्पूर्ण मूल्यधन की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र तस्दीक कराये, विक्रय पत्र के दस्तावेज को उप पंजीयक कार्यालय/तहसील कार्यालय मे वास्ते पंजीयन प्रस्तुत करे, उप-पंजीयक के सम्मुख बयान देवे, उप-पंजीयक कार्यालय मे दस्तावेज प्रस्तुतिकरण पर हस्ताक्षर करे, युनिट मय भूखण्ड की भूमि मे आनुपातिक व अविभाजित हिस्से की भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करे, युनिट/फ्लेट आदि को किसी को भी लीज पर देवे, लीज डीड निष्पादित करे, लीज/किराया स्वयं के नाम से प्राप्त करे, लीज डीड पंजीबद्ध कराये।

यह कि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि पर द्वितीयपक्ष के द्वारा कराये गये निर्माण, विनियोजित धन, समय, लागत, अनुभव, तर्जुबे की एवज मे उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि पर निर्मित निर्माण के पहचान तथा निशान किया हुआ भाग (जिसका विवरण उपर सारणी मे लिखा हुआ है एवं जिसको संलग्न नक्शे मे ... रंग से दर्शाया गया है) की द्वितीयपक्ष प्रत्येक प्रकार से सार संग्राल करे, समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागो, न्यायालयो, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर,

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Director

proprietor




नगर, निगम जयपुर, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, कलदाय विभाग, जयपुर, उप पंजीयक कार्यालय, पुलिस थाने आदि जो मेरे वर्तमान में निवास है या भविष्य में कायम होंगे, मे प्रत्येक प्रकार की लिखित एवं मौखिक शिकायतों को, प्रार्थनापत्र, प्रथमपत्र, आदि निष्पादित करे, पैरवी करने के लिये वकील/एडवोकेट/निरस्त करने मेहनताना अदा करे, रसीद प्राप्त करे, प्रमाणित करे एवं पृथक करे, किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर उसका निस्तारण करावे। यह मुख्यारनामा आम प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष के हित मे डवलपमेंट एग्रीमेन्ट की शर्तों की पालनार्थ निष्पादित करायी गई है अतः प्रथमपक्ष को डवलपमेंट एग्रीमेन्ट के प्रभावी रहने के दौरान इस मुख्यारनामा आम को बिना द्वितीयपक्ष की लिखित सहमति के निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा।


यह कि इस मुख्यारनामा आम के साथ नक्शे भी संलग्न किये गये है जिसमे इस मुख्यारनामा आम की विषयवस्तु सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे भी इस मुख्यारनामा आम का अग्निन भाग है एवं सदैव साथ पड़े जायेंगे।

अतः यह मुख्यारनामा आम प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी स्वस्थ चित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में द्वितीयपक्ष के हित मे 06 ग्रीन पेपर पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 12-माह मई सन् 2023 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष


  
(सीताराम टोडावत)

मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड  
जरिये कम्पनी के निदेशक मनोज गर्ग  
For Prem Sagardra Projects Pvt. Ltd.


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष  
VIVANTA CORPORATION Director  
 Proprietor

मैसर्स विवांता कॉरपोरेशन  
जरिये फर्म के प्रोपराइटर विवेक धीरडिया

हस्ताक्षर गवाह-1


 Chetan  
516 Paris Point Anipark Jaipur

हस्ताक्षर गवाह-2

 Ankit Jain  
H.No. 58/2 Filatole, 203, First floor walshtra  
Empire, Kamla Nehra Nagar, Meerapura Jaipur

उप पंजीयक  
जयपुर दशन





SHANTHI CORPORATION  
 Architect



BLOCK-A

TYPICAL FLOOR PLAN (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16th & 18th floor FLOOR-

2nd floor PLAN

For M/s. Shanti Corporation Pvt. Ltd.

Director



30/5/23 को गु. म. विद्यालय  
 9.31 परीक्षा 11/2024 तिथि 202303190400223  
 परीक्षा के लिए परीक्षा अधिकारी के पास प्रेषित  
 तिथि 18.05.2023 225  
 परीक्षा के लिए प्रेषित  
 0


उत्तर पर्यावरणिक, IAPUB-8  
जयपुर दरभंगा

छप पंजीयक  
जयपुर दसन





# **BLOCK - A** **TYPICAL FLOOR PLAN** (3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)



VIVANTA CORPORATION  
 Proprietor

REGISTRATION NO. 100/2017  
 For Free legal info visit [m.100](http://m.100)



PROJECTION LINE  
 SETBACK LINE

असल दिनांक 30/5/23 को उक्त संख्या 42  
विहित सत्यापन नं. 190 संख्या 112/2023 तथा 20.2.23 03190400 223  
पर वरीयता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना प्रकाशित संख्या 4-  
विहित संख्या 1/52 से पूरा संख्या 146 नं. 22-5  
पर कार्य किया गया।

का वरीयता, JAIPUR-X  
जायपुर दसम

सुप पंजीयक  
जायपुर दसम



VIVANTA CONSTRUCTION  
Pvt. Ltd.




4th FLOOR PLAN

**BLOCK-A**  
**TYPICAL FLOOR PLAN (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16th & 18th floor FLOOR-**

*Adm*

  
DIRECTOR

for Firm Sagar Ltd Projects Pvt. Ltd.



आव दि. नं. 30/5/21 को प्राप्त संख्या ५-  
विप. संख्या १५ पुन संख्या 12.000 संख्या 20.2.303/190400223  
पर प्रकीर्ण विप. संख्या 100 अतिरिक्त कुल संख्या ५  
विले संख्या 18 के पुन संख्या 196 से 225  
पर प्रकाश किया गया।

उप प्रकीर्णक  
जयपुर दफ्तर





**5<sup>th</sup> FLOOR PLAN**  
**BLOCK - A**  
**TYPICAL FLOOR PLAN**  
 (3<sup>rd</sup>, 5<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup>, 13<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup>, 17<sup>th</sup> FLOOR)




VIVANTA CORPORATION  
 8700-1601

*Adm*

For Pawan Singhania Projects Pvt. Ltd.

Director




SECTION LINE

आम दि. 30/5/23 को प्रकाशित 1/2  
प्रकाशित 1/2 को प्रकाशित 1/2 को प्रकाशित 1/2  
प्रकाशित 1/2 को प्रकाशित 1/2 को प्रकाशित 1/2  
प्रकाशित 1/2 को प्रकाशित 1/2 को प्रकाशित 1/2

उप पंजीयक  
जयपुर दस्तावेज

जयपुर, JAIPUR-X  
जयपुर दस्तावेज





6<sup>th</sup> FLOOR PLAN

VIVANTA CORPORATION  
PROJECT

BLOCK-A

TYPICAL FLOOR PLAN (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16th & 18th floor FLOOR-



For Panch Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Project Director

A. Jain

आम दि. 1.30/5/23... को उक्त संख्या 4  
विशेष संख्या 2 में पूरा संख्या/23 संख्या 2023/90400223  
पर पंजीयन विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रतिका संख्या 4  
विशेष संख्या 1 के पूरा संख्या 198... से 225  
पर प्रमाण किया गया।

डा. राजेश, JAIPUR-X  
जायपुर दसम

सप पंजीयक  
जायपुर दसम





PROJECTION LINE



BLOCK-A

7th Floor Plaza

Director

आता दि. ३०/५/२३ को प्र. नं. संख्या ५  
विशेष संख्या १, नं. पुनः संख्या १२२२ संख्या २०२३०३१०५००२२३  
पर पंजीयक विभाग गंगा तथा अतिरिक्त प्रत्येक संख्या ५  
विशेष संख्या १२, के पुनः संख्या १५६, के २२५  
पर बदला किया गया।

उप पंजीयक, JAIPUR-X  
जयपुर दशम

उप पंजीयक  
जयपुर दशम



जयपुर (राज.)  
पंजीयन विभाग


8th Floor PLAN



SHANTA CORPORATION  
proprietor

BLOCK-A

TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &  
18th floor FLOOR-



For Free Sheet Price: Rs. 10.00

Director

(Handwritten signature)

आगत दिनांक: 30/5/23 को प्राप्त मंचिका ५  
विशेष नमूना १ से पूर्व संख्या/11/का संख्या 20230319040022-3  
या संख्या ११-३ नमूना नमूना अतिरिक्त १ संख्या संख्या ५  
विशेष संख्या 18 के द्वारा संख्या 1५ से 225  
पर प्रस्ताव किया गया।

  
उप पंजीयक  
जयपुर दफ्तर





# TYPICAL FLOOR PLAN BLOCK - A (3,5,7,9,11,13th,15th,17th FLOOR)




9th FLOOR PLAN

WIVANTA CORPORATION  
Proprietor

For Pawan Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.


Director



आगत दि. 30/5/23 को प्राप्त संख्या ५  
विशेष संख्या १ में पृष्ठ संख्या/22अप्र संख्या 262303/904002221  
पर पंजीयक विभाग द्वारा जारी अधिलिखित प्रत्येक संख्या ५  
विशेष संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 146 से 225  
पर कार्य किया गया।

उप पंजीयक  
जयपुर दसम





10th FLOOR PLAN

BLOCK-A

TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th & 18th floor FLOOR-

For Anus Sage India Projects Pvt. Ltd.

Director




३०/५/२३ को पुराना सनमा ५  
 दिनांक १९७३ को पुराना सनमा ११२३३०३१७०४००२२३  
 पर पुराना सनमा ११२३३०३१७०४००२२३  
 दिनांक १९७३ को पुराना सनमा ११२३३०३१७०४००२२३  
 पर पुराना सनमा ११२३३०३१७०४००२२३

उप पंजीयक, जयपुर  
 जयपुर दसम



# **BLOCK - A** **TYPICAL FLOOR PLAN** **(3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR**



*Handwritten signature*

For Plans Register Project No. 114

*Handwritten signature*  
 Director

REGISTRAR, JAIPUR-X

REGISTRAR, JAIPUR-X  
 (2018) PRODUCTION LINE  
 SEWAGE LINE

आगत दिनांक: 30/5/23 से प्रकाशित दिनांक 4  
विभाग संख्या 9 से पुनः संख्या 1/23 का संख्या 2023/03190 4002223  
पर पंजीयन विभाग द्वारा जारी दिनांक 4  
विभाग संख्या 18 से पुनः संख्या 146 से 225  
पर वापस किया गया।

डा. राजेश, JAIPUR-X  
जयपुर दस्ता  
उप पंजीयक  
जयपुर दस्ता



12th FLOOR PLAN




VIVANTA CORPORATION  
Proprietor

BLOCK-A  
TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &  
18th floor-FLOOR-

1-10-2008

Director

For Pm Sagar Infra Projects Pvt. Ltd




आज दिनांक 30/5/23 को मुद्रांक संख्या 4  
विलेन संख्या 9 में एच सीएम/2023 संख्या 202303170400223  
पर पंजीयक सिद्ध गये एवं अधिनियम मुद्रांक संख्या 4  
विलेन संख्या 18 को तृप्त संख्या 146 से 226  
पर चलत किया गया।

  
उप पंजीयक, JAMPUR-X  
असुर दस्त

उप पंजीयक  
जयपुर दस्त





13th Floor Plan

**BLOCK - A**  
**TYPICAL FLOOR PLAN**  
**(3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)**



*Signature*

For Project Registration Project No. 124

*Signature*




आज दिनांक 30/5/23 को प्रत्येक संख्या 4  
जिस संख्या 9 में प्रत्येक संख्या 12 को संख्या 202303190400223  
पर पंजीयक विभाग में प्रत्येक संख्या 4  
जिस संख्या 18 में प्रत्येक संख्या 146 से 225  
पर प्रत्येक संख्या 1

उप पंजीयक, JAIPUR-X  
जयपुर दसम्

उप पंजीयक  
जयपुर दसम्








उप-निर्देशक (आर.डी.)  
आर.डी. (आर.डी.)  
आर.डी. (आर.डी.)

उप पंजीयक  
जयपुर दसम





**BLOCK - A**  
**TYPICAL FLOOR PLAN**  
 (3, 5, 7, 9, 11, 13th, 15th, 17th FLOOR)

10th floor plan


PRODUCED BY

*[Handwritten signature]*

For From Super Infra Project P. Ltd.

*[Handwritten signature]*  
 Director

आवक दिनांक 30/5/23 से कुल राशि 4  
विशेष संख्या 9 व कुल संख्या 112 वर्ष 2023 03/90400223  
यह प्रमाणित किया गया कि उपरोक्त राशि राशि 4  
मिलान संख्या 10 से कुल संख्या 144 से 225  
पर राशि मिलान गयी।

  
उप पंजीयक  
जयपुर दसम्






ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ: 30/5/23 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4  
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ: 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 82 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 202203790400223  
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੰਬਰ: 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 146 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 225  
ਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  
ਚੌਥਾ ਪੰਜੀਯਕ, ਜਲੰਧਰ-੧  
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਚੌਥਾ ਪੰਜੀਯਕ  
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ







13<sup>TH</sup> FLOOR PLAN  
**BLOCK - A**  
 TYPICAL FLOOR PLAN  
 (3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)

REVENUE CORPORATION

For Plans Super Inty Projects P.O. Ltd.


*Signature*

*Signature*  
 Director

आम दि. ३०/५/२३ को प्रमाण संख्या ५  
विशेष संख्या २६ एवं प्रमाण संख्या २२३३०३१९०५००२२३  
एवं पंजीयक विभाग द्वारा जारी अधिविस्तृत प्रमाण संख्या ५  
विशेष संख्या १९ एवं प्रमाण संख्या १५६००२२५  
एवं प्रमाण विभाग द्वारा।

उप पंजीयक, JAIPUR-X  
जयपुर दसम्  
उप पंजीयक  
जयपुर दसम्





BLOCK-A  
TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &  
18th floor FLOOR-

For Plan Approval Projects Pvt. Ltd.

Director

6/10/00

आज दिनांक 20/5/23 को पुता संख्या 4  
जिला संख्या 1 में पुता संख्या 1128 मसुदा संख्या 202303190400223  
पर प्रविष्टि किताब गणना अधिनियम पुता संख्या 4  
जिला संख्या 18 के पुता संख्या 146 से 225  
पर चलाया गया।

उप पंजीयक, JAFUR-X  
जयपुर दसम

